आंध्रा प्रदेश महिला समता सोसायटी

वार्षिक रिपोर्ट १९९८-९९

महिला समता संघ के कार्यक्रम

महिला समता सेंघ के कार्यक्रमो में परिवर्तन की दृष्टि से, पिछली कालावधियों में से एक महत्वपूर्ण वर्ष था। सन् १९८८ में उत्तेजनापूर्ण परिवर्तन लाये गये, जिससे महिला समता और महिला संघों का भविष्य निर्धारित होगा। महिलाओं को शक्ति सम्पन्न बनाने की दिशा में, उनके जुटाव और संगठन का प्रयास प्रारम्भ किया गया जो अब तक एक शक्ति सम्पन्न, मूर्त्त और स्वतंत्र निकाय का रूप धारण कर लिया है। आगामी वर्षों में हमारा उद्देश्य यह आश्वस्त करेगा कि महिलाओं को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से शक्ति सम्पन्न बनाये, जिससे उनके व्यक्तिगत और सामूहिक प्रभावों की ग्राम, जिला और प्रादेशिक स्तर पर उनकी पहचान का अनुभव हो सके।

सन् १९९३ में यह कार्यक्रम वस्तुतः दो जिलों के १५८ ग्रामों में प्रारम्भ कर दिया गया था। आज यह पाँच जिलों के ८८४ ग्रामों में फैल गया है। संघ की सदस्यता जाति भेद को हटाकर चलती है / । प्रारम्भ ये इन संघों के सम्बन्ध क्षीण थे किन्तु आज सब संघ अपनी पारम्परिक समस्याओं को सुलझाने में स्थायी रूप से जुट गये है।

आच्छादित ग्राम संख्या

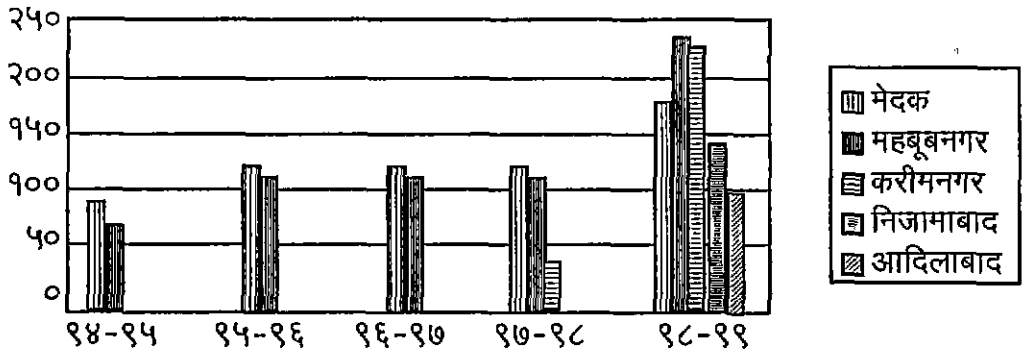

कार्यक्रम के सक्रिय क्षेत्रों में हमने पारी से कार्य होते देखा है। पहले ये संघ, अपनी सामाजिक समस्याओं, जैसे बालविवाह और जोगिनी दीक्षा के निमित्त जिलागत इकाइयों सें सहयोग की अपेक्षा करते थे, आज ये स्वतंत्र हो गये हैं। आज ये संघ अपनी इन समस्याओं के सफलतापूर्वक पूर्णतः निदान के बाद जिलागत इकाइयों को सूचित करते हैं। अब वे किसी समस्या के निदान में गत्यावरोध पर ही महिला समता संघ के हस्तक्षेप की अपेक्षा करते हैं। वस्तुतः एक लोकप्रिय भाषायी दैनिक ने यह सुखद सूचना प्रकाशित की थी कि गत वर्ष मकथल और उत्कूर मंडलों में कोई जोगिनी दीक्षा नहीं हुई थी।

जब महिला समता संघ ने पहली बार कार्यारम्भ किया था तब उसका मात्र लक्ष्य यह था कि महिलाओं के सामूहिक जुटाव और संगठन उनके शक्ति सम्पन्न होने की पहली शर्त है। धीरे-धीरे जब संघ मजबूत होते गये, शक्ति सम्पन्नता के विषय में, दल की संकल्पना भी व्यापक होती गयी। इससे विभिन्न स्तरों पर शिक्षण प्रक्रिया के लिए विभिन्न शक्तियों के विस्तार को समाकलित करने के विषय पर चर्चायें शुरू की गयीं। इस समय की व्यपकता हमारे आधार गत कार्यों में प्रतिबिम्बित होने लगी। गत दो वर्षों में, इन महिलाओं के द्वारा प्रतिपादित कार्यों के विकास को बनाये रखने के लिए हमें उनकी मांगों और समस्याओं के निदान के अनुकूल नवीन निदेशों को समायोजित करना पड़ेगा। यह भी नितान्त आवश्यक है कि हम सदा परामर्शदात्री प्रक्रिया के माध्यम से एक ऐसी योजना बनाये जो बाद में सरकारी परियोजना के अन्तर्ग्रथित किया जा सके या इन संघों के लिए वित्तीय सहयोग संग्रहीत किया जाये जिससे सीधे वे अपने कार्यक्रमों को सुनियोजित कर सकें। ऐसे ही एक प्रयास में गृह - खाद्यान्न - सुरक्षा का प्रस्ताव सफल हुआ। इन प्रयासों से यह प्रतिबिम्बित होता है कि विकेन्द्रीकरण के हमारे निर्णायक घटक सशक्त हो रहे हैं।

संघ की सदस्यता

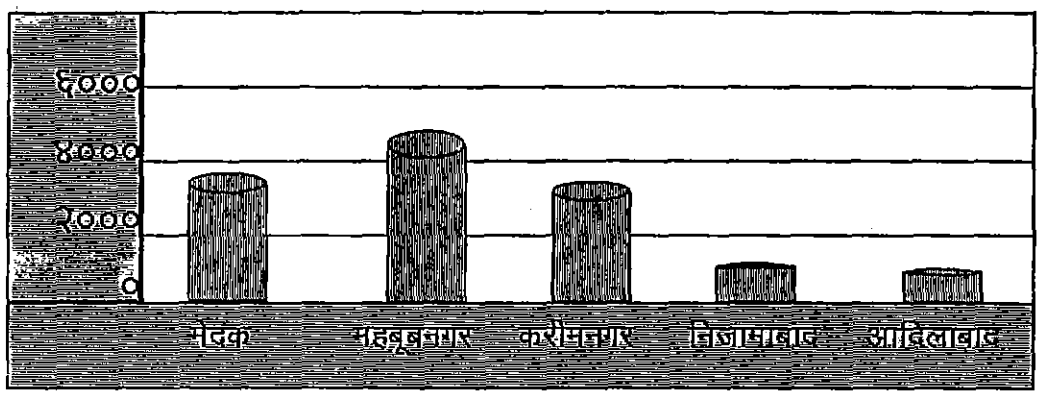

दूसरे क्षेत्रों में जैसे बाल अधिकार अधिवेशन के विशेषकर किशोरियों के संदर्भ में सूचना और प्रसारण विवादों में पर्याप्त समय, ऊर्जा और संसाधन का व्यय हुआ। जब हम किशोर कन्या श्रमिकों और उनके साथ भेद भाव का विश्लेषण कर रहे थे तब हमें गृह - खाद्यान्न सुरक्षा और धारणीय आजीविका पर चर्चा के लिए प्रेरणा मिली। कपास के खेतों में किशोर कन्या श्रमिकों की समस्याओं को समझने और

उसके विश्लेषण के प्रयास में हमने देखा कि उनकी स्थूल नीतियों ने उन गरीब स्त्रियों की आजीविका और आश्रय को नष्ट कर दिया। इन्हीं वाद-विवादों ने स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों के परिपेक्ष्य और हमारी संकल्पनाओं को प्रभावित किया। स्वास्थ्य की दिशा में हम लोग उनके खाद्यान्न एवं पौष्टिक सुरक्षा के लिये बदलाव की नीति अपना रहे हैं। संघ की महिलाओं ने अपनी स्वास्थ्य रक्षा के लिए साफ पेय जल और स्वच्छता की ओर ध्यान देना प्रारम्भ किया है। यद्यपि प्रमुख कार्यक्रम प्रायः एक -दूसरे से जुड़े हैं, पर उनके सहज क्रियान्वयन के लिए उन्हें स्पष्ट रूप से निरूपित किया गया है। व्यवस्था और विकेन्द्रीकरण के क्षेत्रों का अन्य क्षेत्रों से, शक्ति सम्पन्नता के निमित्त अन्तर्भुक्त कर दिया गया है।

हम आशा करते हैं कि गतवर्ष इन नये परिवर्तनों के सूत्रपातों से आगामी वर्षों में इन महिलाओं की शक्ति सम्पन्नता के रोचक प्रतिरूप और परिणाम सामने आ सकते हैं। और यह भी आशा करते हैं कि ये दृष्टान्त उचित अवसरों का समाकरण कर, महिलाओं को उनकी नीतियों को स्पष्ट देखनें सहयोग देंगे। हम यह भी चाहते हैं कि दल की संकल्पना, परिदृष्य और कुशलता मजबूत हो। बहुआयामी कार्यों के अनुकूल उनको सहयोग देने और उससे उत्पन्न समस्याओं का निदान ढूँढ़ने की आवश्यकता है। यद्यपि अन्य संस्थाओं और संरचनाओं के साथ अभिसरण करना उतना आसान नहीं है, पर हम उन दुविधाओं को उसी तरह पार कर लेंगे जैसे पहले किया था।

कार्यक्रम विस्तार

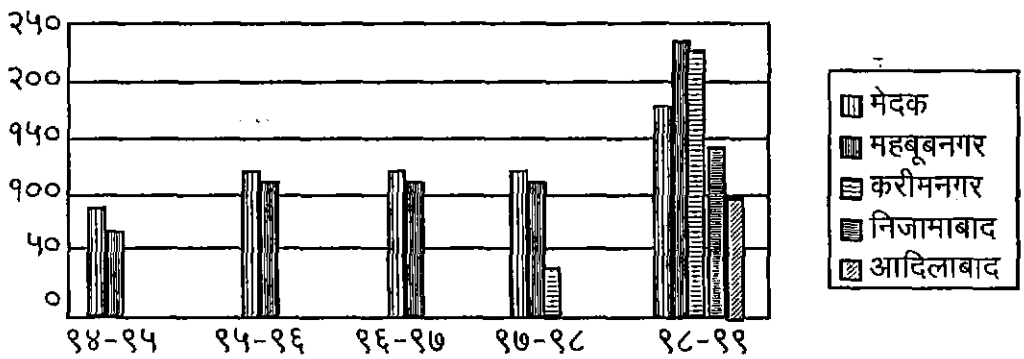

विस्तार

गत वर्ष महिला समता का कार्यक्रम भौगोलिक दृष्टि से आदिलाबाद और निजामाबाद के दो जिलों में विकसित किया गया। मई ९८ तक कार्यकर्त्ताओं का चयन एवं प्रशिक्षण समाप्त कर दिया गया और कार्यक्रम का औपचारिक रूप से जून मास में उद्घाटन कर दिया गया।

इन दो जिलों में, पूर्ववर्ती जिला-कार्यक्रमों के अनुभव के आधार पर कार्यक्रम चलाया गया, किन्तु कुछ ऐसी समस्यायें उभर कर आई जिससे हमारे कार्यक्रम में गतिरोध आ गया। निजामाबाद के

चार मंडलों में इस कार्यक्रम का श्रीगणेश किया गया था परन्तु लिंगमपेट नामक मंडल से इस कार्यक्रम को हटा देना पड़ा क्योंकि नक्सलवादियों के कारण इस क्षेत्र में कार्यकर्त्ताओं का मिलना बड़ा मुश्किल हो गया था। इसके अतिरिक्त और कई समस्याएँ भी थीं जैसे कार्यकर्त्ताओं की उम्र। अधिकतर कन्याएँ कम उम्र की थी और उन्हें महिला संघ के उच्चादर्श को अन्तःकरण से समझने में काफी समय और स्थान लगता था। जिला केन्द्र में समुचित नेतृत्व के अभाव में कार्यक्रम की गति धीमी पड़ गयी तथा व्यवस्था और कार्यक्रम के कार्यान्वियन में अन्तर्द्वन्द्व शुरू हो गये।

आदिलाबाद में, जो पूर्णतः आदिवासी क्षेत्र है, दल को यहाँ कार्य करने के लिए अनेक समस्याओं का, नितान्त नये सांस्कृतिक वातावरण में सामना करना पड़ रहा है, जहाँ तौर-तरीके, मूल्य, रूढ़िगत परम्पराएँ और भाषावैभिन्न्य है। इस आदिवासी क्षेत्र के कार्यकर्त्ताओं को अपेक्षाकृत अधिक समय, महिला समता संघ के आदर्शों और कार्य-पद्धति को समझने-अपनाने में लगा। कार्यकर्त्ताओं और जिला-दल के बीच पारस्परिक आदान-प्रदान की प्रक्रिया जरूरी है। इससे यहाँ पर्याप्त समय लग गया और कार्य की गति अवरुद्ध हुई।

शिक्षा

इस वर्ष हमने प्रक्रिया हस्तक्षेप और निर्णायक निदेशों के सूत्रपात से शिक्षा को समैकित और मजबूत किया। महिला समता संघ ने सक्रिय रूप से बालिका अधिकारों और किशोर बालिका श्रम के निवारण की समस्याओं को उठाया है। पारी से प्रौढ़ शिक्षा, बालमित्र केन्द्र की पाठचर्या और महिला-शिक्षण केन्द्रों की व्यवस्था की गयी है।

हमारा प्रमुख लक्ष्य किशोर कन्या श्रमिकों की ओर रहा, जो कपास के खेतों में काम करती है और हमारा प्रयास उन कन्याओं के अधिकारों के प्रति उनके माता-पिता और ग्राम के विचारशील व्यक्तियों को प्रेरित करना था।

मेदक और महबूबनगर ने दो भिन्न निर्णयात्मक कदम उठाये। दोनों निर्णयात्मक कदमों का जबरदस्त प्रभाव माता-पिता, शिक्षकों और ग्राम-युवकों पर पड़ा। नवम्बर से मेदक में हमारे दल ने महिलाओं तथा स्कूल जाने वाले और अपढ़ बच्चों को संगठित किया एवं स्थानीय स्कूल शिक्षकों के द्वारा ग्रामों में बाल अधिकार अधिवेशन के आधार पर जुलूस निकलवाया। इन जुलूसों का उद्घाटन बाल अधिकार अधिवेशन दिवस अर्थात २० नवम्बर को किया गया। जुलूस के बाद स्थानीय ग्राम स्कूलों में प्रदर्शनी और चर्चाएँ आयोजित की गयी। इससे स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की खोज हुई। हमारे दल ने तब उनके माता-पिताओं को प्रेरित किया और शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित गर्मी के शिक्षा शिविरों में उन बच्चों का नामांकन कराया गया। यद्यपि मंडल के अधिकारियों और स्थानीय शिक्षकों के बीच, विद्यार्थियों की संख्या पर कुछ झड़प अवश्य हुई, फिर भी अधिकतर बालक स्कूल जाने लगे। प्रस्तुत रपट लिखते

महबूबनगर में सांस्कृतिक सक्रियतावाद (कला जात्रा) प्रमुख निर्णायक घटक था जिसने माता-पिता, ग्राम-वृद्धों और युवकों को प्रेरित किया कि अब कपास के खेतों में किशोरियों को नहीं भेजा जाये। कलाजात्रा दलों का संगठन बालमित्र केन्द्रों के शिक्षकों से हुआ है। ग्राम समस्याओं के आधार पर हमारे दल ने और शिक्षकों ने स्वतः नाटकों और गीतों का निर्माण किया। कलाजात्रा के वेंकटेश ने स्वयं युवती की पात्रता निभाने के लिए साड़ी तथा सौन्दर्य प्रसाधन में काफी धन खर्च किया। अपने हर मंचन में बड़ी सफाई के साथ दाढ़ी मूँछ मुंडाता भी था।

इन शिक्षकों की प्रतिबद्धता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है जब कपास के खेतिहरों के अवरोधों के बावजूद वे अपना मंचन करते रहे हैं। प्रत्येक कला जात्रा के बाद दल के सदस्य, ग्रामीण जनों को बाल अधिकार अधिवेशन पर चर्चा के लिए प्रेरित करते रहे। इस दल को कपास के खेतिहरों के क्रोध का सामना भी करना पड़ा और कहीं कुछ ग्रामों में उन्हें पत्थरों की मार भी सहनी पड़ी और गंदी गालियाँ भी सुननी पड़ी। संघ की महिलाओं ने यह सूचना दी कि उनके घरों में दस-दस हजार के नोट फेंके जाते थे और उन्हें अपनी किशोर लड़कियों को खेत में काम करने के लिए बाध्य किया जाता है।

महिला संघ ने बाल अधिकारों पर, बालिकाओं के विशेष संदर्भ में, सामग्री जुटायी है। उन्होंने तीन पुस्तकों और दस विज्ञप्तियों का एक सेट तैयार किया जिसमें उनकी सुरक्षा, विकास, अस्तित्व रक्षण और सहभागिता के अधिकार अंकित है। यही महिला शिक्षण केन्द्र के पाठ्यक्रम में समाहित है (परवर्ती पृष्ठों में जिसकी विस्तार से चर्चा की गयी है।)

इस वर्ष के प्रारंभ में, पाँच जिलों का लक्ष्य बालकों का स्कूलों में नामांकन और छत्रावासों में भर्ती करना था। उनमें अधिकतर छात्र, बालमित्र के केन्द्रों और महिला शिक्षण केन्द्रों से स्कूलों में नामांकित हुए। इन संघो को छात्रावासों में भर्ती कराने के लिए स्थानीय रूढ़िवादी परम्पराओं से बड़ा संघर्ष करना पड़ा। इससे इतना तो स्पष्ट हो गया कि प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता पर नीति निर्धारकों के प्रयासों से मंडल और जिला प्रशासक सहमत नहीं थे। बालिकाओं के स्कूलों और छात्रावासों में प्रवेश के लिए कागजी कार्यवाही से महिलाएँ निरुत्साहित होकर अपने बच्चों को भर्ती नहीं कराती थी। संघ की महिलाओं के आग्रह से प्रयास, कि बच्चों का स्कूलों में नामांकन हो, महिला संघ इस कार्यक्रम को विधिवत निभाता है। ग्रामीण महिलाएँ अपने बच्चों के शिक्षण के लिए तत्पर हो जाती यदि प्रशासन उनकी माँगों की ओर ध्यान दें। इतर अनुसूचित जाति की पर्याप्त संस्थागत आवश्यकताओं के अभाव में हमने प्राथमिक शिक्षार्थियों का विपर्यास देखा। यदि जिलागत प्रशासन ने इस संवेदनशील प्रसंग की ओर ध्यान दिया होता तो सम्भवतः इतर अनुसूचित बच्चों का उत्क्रमण नहीं हुआ होता। महबूब नगर में ७४९, मेदक में ११३७ और करीमनगर में १८० का नामांकन स्कूलों और छात्रावासों में किया गया है।

बच्चों की मुख्य धारा

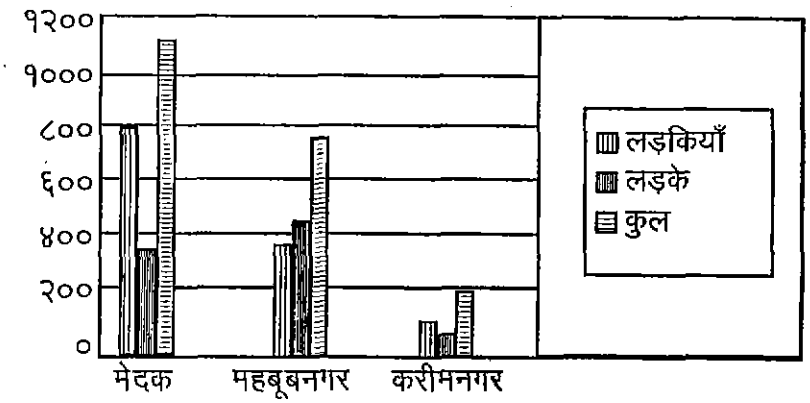

इस वर्ष हमने महबूबनगर और मेदक में आठ बालमित्र केन्द्रों को बन्द कर दिया। इन ग्रामों में ९९ प्रतिशत बच्चे मुख्यधारा में आ गये हैं। जो कुछ बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे हैं, उन्हें बालमित्र केन्द्रों के शिक्षक एवं हमारे कार्यकर्ता ग्रीष्मावकाश में सेतु शिक्षण के लिए प्रेरित करते हैं।

बाल-मित्र केन्द्र एवं बच्चे

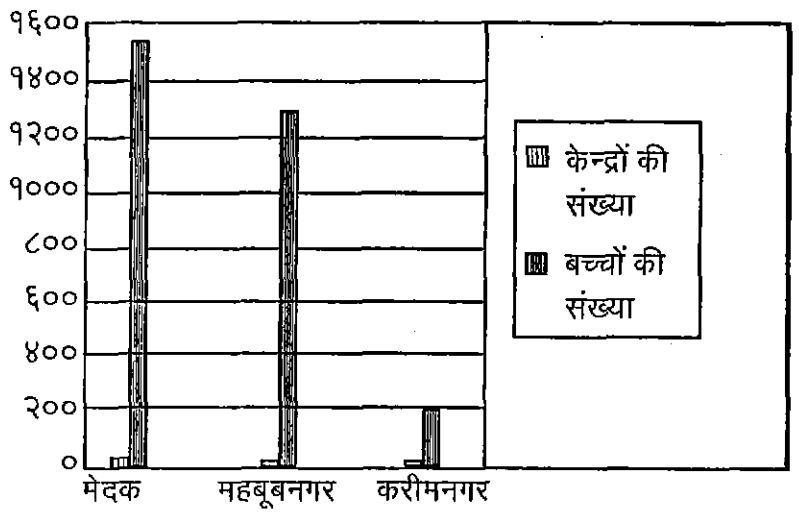

बालमित्र केन्द्र के शिक्षकों ने सुदृढ़ और विकसित यौन सम्बन्धी संवेदनशील और अध्ययन और अध्यापन की सामग्री तैयार की है। प्रारम्भ से हमने ऋषि वैली स्कूल की पाठ्य सामग्री का प्रयोग किया है। ये सामग्री भाषा और गणित पढ़ाने में बहुत ही लाभदायक रही, किन्तु इससे बच्चों को इतिहास, समाजशास्त्र

और विज्ञान जानने में कोई सुविधा नहीं हुई। इन विषयों की पाठ्य चर्चा के लिए बहुत चर्चाएँ हुई और यह सोचा गया कि इन विषयों के अध्यापन के लिए सहयोगी उपकरणों का प्रयोग नितान्त आवश्यक है। प्रारम्भ में इस प्रणाली का बड़ा विरोध हुआ, क्योंकि न शिक्षक और न दल, इस प्रकार के सहयोगी उपकरणों से परिचित थे। अब भी यह प्रणाली शिथिल ही है, किन्तु इस वर्ष हमें आशा है कि उसे मान्यता मिलेगी।

हम लोग महिला समता में पाठ्यचर्चा के मुद्दों के विषय में अब भी दुविधा में है। विशेष रूप से महिला शिक्षण केन्द्रों के लिये, जहाँ अधिकतर किशोरियाँ पढ़ती हैं। क्या हम सिलाई और कसीदाकारी के व्यावसायिक प्रशिक्षण को समाहित करें जो स्त्रियोचित रूढ़िवादिता को मजबूत करती है या उनकी साम्प्रतिक कार्य कुशलता और साधन के आधार पर उनकी आजीविका की कुशलता को मजबूत करें? और जो यौन रूढ़िवादिता के अवरोधों को तोड़ता है। हमारे यहाँ पाठ्यचर्या सम्बन्धी विषयों जैसे यौन, स्वास्थ्य, व्यवस्था, वातावरण, नेतृत्व कुशलता, अधिकार (विधि, बाल व महिला अधिकार) पर चर्चा होती है।

इस वर्ष कार्य निपुणता के अन्तर्गत प्रक्रियाओं में विकेन्द्रीकरण, हस्तक्षेप और महिला शिक्षण केन्द्रों की वृहत संरचना में शिक्षण और प्रतिफलन का अभिसरण, महिला समता ने महिला वित्तीय निगम के सहयोग से मेदक और करीमनगर जिलों के महिला शिक्षण केन्द्रों में तेलुगु बालाल महिला प्रगति प्रांगणं के नाम से प्रारम्भ किया। इसे एक आदर्शवाद के रूप में विकसित किया गया है, जिसे महिला वित्तीय निगम सारे जिलों में प्रचलित कर सकता है। इस मिश्रित योजना से दोनों प्रतिभागियों को परस्पर सीखने का अवसर मिला। महिला समता प्रांगणम् के अधिकारियों ने बालक की तुलना में किशोरियों के अधिकार। यौन, पाठ्यचर्या और नवीनतम शिक्षण पद्धति को अग्रलक्षी बनाने का प्रयास किया। प्रारंभ में मेदक में ४८ और करीमनगर में ५६ किशोरियाँ नामांकित की गयी थी। यद्यपि इन कार्यक्रमों को बड़ी आशा के साथ प्रारम्भ किया गया, किन्तु कार्यान्वयन की अनेक समस्याएँ उभरती गयी। प्रारम्भ में इस कार्यक्रम के स्वामित्व का प्रश्न कलहपूर्ण हो गया। प्रागणम् के अधिकारियों का विचार था कि ये महिला समता का कार्यक्रम है, जो इस कार्यक्रम के निमित्त समुचित स्थल व्यवस्था करते थे। जिला कार्यान्वयन इकाई के अधिकारियों को इसका रोष था कि छोटी से छोटी समस्या उनके पास प्रांगणम् के कार्यकर्त्ता भेज देते थे और उन्हें जो आंशिक कार्य करना था वे पूरे कार्यक्रम को अपने हाथ में ले लिया करते थे। दोनों विभागों की समझदारी और कार्यान्वयन के सहनिर्णय से दोनों की साझेदारी को बहुत दूर तक सफलता मिली होती। बहुत-सी किशोरियाँ जिन्होंने अपना पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया, स्कूलों और छात्रावासों में भर्ती हो गयी। महिला समता द्वारा संयोजित महिला शिक्षण केन्द्रों में किशोरियाँ बहुत आश्वस्त है और अपने अधिकारों एवं भविष्य के सपनों को बड़े उत्साह से बताया करती हैं।

इस वर्ष किशोर बालिकाओं के कार्यक्रमों की आपूर्ति हुई। हमारे परिदृश्य और समझ मजबूत हुए। इससे गत वर्ष के कार्यक्रम सुदृढ़ हुये। मेदक, महबूबनगर और करीमनगर के जिलों में किशोर बालिकाओं के लिए चेली बालिका संघम के नाम से दलों का निर्माण कर दिया गया। मेदक और महबूबनगर

में हमारे दलों ने विशेष कार्यों को उन दलों के साथ उठाया जो स्वास्थ्य, बालकों के अधिकार, शिक्षा और नेतृत्व गुणों के विकास के क्षेत्रों में कार्यरत है।

चेली बालिका संघम् तथा किशोर बालिकाओं को आच्छादित

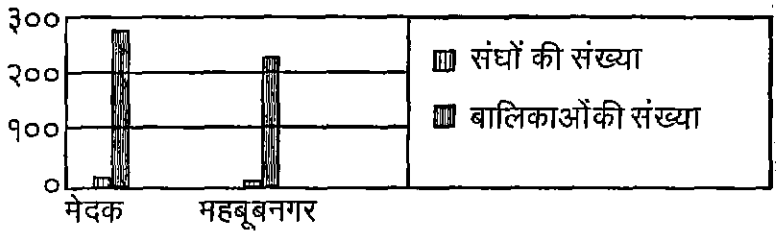

इस वर्ष हमने प्रौढ़ शिक्षा के निमित्त शिक्षा शिविर चलाया। मेदक और महबूबनगर में नियमित रूपसे शिक्षा शिविर का आयोजन किया गया। जहाँ तीन-तीन दिन के लिए महिलाएँ शिक्षा शिविर में आती रहीं। इन्हीं सत्रों के अधिनिगम पर, संघ की बैठकों में अनुवर्ती चर्चाएँ हुई। करीमनगर में प्रौढ़ शिक्षा का प्रारम्भ केन्द्रीय रूप से हुआ। आश्चर्य यह है कि महिलाओं के सीखने की गति, बालिकाओं की गति से तीव्र रही। इसने जिला दल और शिक्षकों को महिला-शिक्षण की आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। हम आशा करते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा की माँग अगले कुछ माहों में बढ़ती जायेगी। उनकी पाठ्यचर्या के विकास की आवश्यकता है, जो उनकी स्थितियों के अनुकूल हो।

प्राकृतिक संसाधन और सम्पति निर्माण

विगत कुछ वर्षों से, गरीबी और परियोजित क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन और महिलाओं पर उसका प्रभाव, जो महिला समता संघ में कार्यरत है, पर चर्चाएँ एवं विश्लेषण होते रहे। इन चर्चाओं से वृहद - मध्य- सूक्ष्म वातावरण के बीच अन्तर्सम्बन्धों का बोध होता है। उदाहरणार्थ कृषि के व्यावसायिक होने पर, बाल मजदूरी की अधिकतर किशोर बालिकाओं की बढ़ौती हुई और उससे धारणीय आजीविका के अवसर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उदात्तिकरण और सार्वभौमिकरण की नीतियों ने स्थितियों को और बिगाड़ दिया।

आदिलाबाद में, महिलाओं से चर्चा के बीच यह ज्ञात हुआ कि मकई की खेती यहाँ सबसे अधिक होती है। इसकी सबसे बड़ी माँग मुर्गी पालन उद्योग की है क्योंकि इस किस्म की उपज मुर्गी पालन भरक का अत्यावश्यक संघटक है। इस उद्योग की बढ़ती माँग को देख कर, इसके कृषि के क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। मकई के इस किस्म का मूल आधार यह है कि यह बड़ा सख्त होता है, पकाने में कठिनाई और

मनुष्य के खाने के लिए अनुपयुक्त होता है। यद्यपि मकई प्रमुख खाद्यान्न है और निर्वाह उपज है, सम्प्रति इसकी व्यावसायिक उपज के रूप में ख्याति है। इसी लिए स्थानीय समुदाय के लिए यह उपज न अन्न के रूप में काम आती है और न पौष्टिक आवश्यकता की आपूर्ति के लिए। ये समस्या द्विगुणित हो जाती है क्योंकि निम्नतम मजूरी के कारण उनमें खरीदने की क्षमता का अभाव रहता है। इसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप पेट-दर्द, रक्त की कमी हो जाती है और उन्हें बाजार पर खाद्यान्न की आवश्यकता के लिए बहुत निर्भर करना पड़ता है। इसका संचयी प्रतिफल उनके आवर्तित महामारी को रोकने की क्षमता खत्म हो जाती है, और वे मौत के घाट उतर जाते हैं। इससे यह ज्वलंत सत्य का उद्घाटन होता है कि सरकारी कार्यक्रमों की पहुँच बड़े मार्गों के दोनों ओर के गाँवों तक है। नीति निर्धारकों के इस दावे कि भूखमरी की घटनाएँ अतीत की हो गयी है, को चुनौती मिलती है।

इस स्थिति में आं. प्र. महिला समता संघ ने संघ की महिलाओं के लिए आजीविका अवसरों की ओर देखा और उनकी कार्य कुशलता को विकसित किया। संघ की महिलाओं ने मेदक और महबूबनगर में आर्थिक विकास के कार्यों को उठाया।

दल और संघ के स्तर पर रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं के कुप्रभाव पर बहुत चर्चाएँ होती है। प्राकृतिक संसाधन के बचाव और संरक्षण के लिए और पुरानी रूढ़िगत परिपाटी का व्यवहार जैविक कृषि को उत्साहित किया जा रहा है। फलस्वरूप, संघ की महिलाएँ सामने आई और नीम बीज से खाद निर्माण कर खेतों में प्रयोग किया तथा साथ ही आर्थिक विकास कार्यक्रम का क्रियाकलाप भी।

नवां मंडल के गाँव धर्मापूर की संघ महिलाओं ने कहा कि वे नीम के बीज जमा कर बेचती हैं। जिससे तरकारी साग-भाजी खरीदी जा सकती है। मगर वह राशि भी अपर्याप्त होती है। इन्हीं अवसरों पर संघ में, खेतों में रासायनिक खादों और जैविक खाद्यों के प्रयोग के प्रभाव पर चर्चाएँ चलती रही हैं। संघ की महिलाओं ने अन्ततः निर्णय लिया कि सामूहिक रूप में बीजों का संचय कर खाद बनायेंगी। उन्होने उसे गाँव में बेचा तथा कुछ खेतों में प्रयुक्त किया।

इस तरह संघ की महिलाओं ने अपने लिए धारणीय आजीविका का अवसर उत्पन्न किया और रासायनिक खाद पर निर्भरता को समाप्त किया।

संघों, जिसने पट्टे पर जमीन ली, निर्वाह उपज के निमित्त जैविक खादों के प्रयोग का निर्णय लिया। इस संदर्भ में, जीवाणु खाद के निर्माण और प्रयोग को प्रत्साहित किया गया।

पनढाल विकास कार्यक्रम (शारीरिक श्रम सम्पृक्त)

आन्ध्र प्रदेश महिला समता संस्था ने चार वर्षों से पनढाल विकास को संरचना दृष्टि से प्रकृतिक संसाधनों के पुनःप्रयोग के रूप में उठाया। इस वर्ष इस कार्यक्रम को जिन अन्य ग्रामों मे उठाया गया है, वे

हैं - कोलूर, मधबाद और पुलिमामिड्डी -बी। पनढाल ग्रामों में महिलाओं ने बड़ी सक्रियता से, सिविल निर्माण कार्यक्रम की तुलना में इसे बहुत महत्व देकर चलाया। आज वहाँ की महिलाएँ, निर्णायक का भार उठाने में स्वयं पहल कर रही है।

करीमनगर में आन्ध्र प्रदेश महिला समता संस्था कोई कार्यान्वयन करने वाली अभिकरण नहीं है। किन्तु संघ की महिलाओं ने जिला-प्रशासन द्वारा कार्यान्वित उसी प्रकार के कार्यक्रमों में अपनी अभिरुचि दिखाई। हुस्नाबाद मंडल के ग्राम जे. पोथाराम में संघ की एक महिला का पनढाल समिति में निर्वाचन हुआ। महबूबनगर और करीमनगर संघ की महिलाएँ सिविल निर्माण कार्यों में ही सक्रिय नहीं वरन् महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्वयं निर्णय लेती और झगड़े-झंझटों का निपटारा भी करती हैं।

वातावरण के मुद्दे

संघ की महिलाएँ वातवरण को प्रदूषित करने वाले मुद्दों की ओर आकर्षित हो रही हैं। प्राकृतिक संसाधनों के दूषण के प्रभाव, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से महिलाओं पर इनके काम काज और जीवन पद्धति पर पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि जल आपूर्ति में दूषण या कमी आ जाय, तो स्वाभाविक है कि महिलाओं के कामकाज में बाधाएँ उत्पन्न होती है क्योंकि परिवार के लिए भोजन और सफाई का काम उन्हें ही करना पड़ता है। जल लाने के लिए औरतों को बहुत दूर तक जाना पड़ता है। औरतों के सामने ही भोजन और पौष्टिकता का प्रश्न रहता है जिससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है।

करीमनगर के सैदापुर मंडल के ग्राम येल्लमपल्ली में संघ की महिलाओं ने कहा कि वर्षा का जल बेकार बह जाता है और ग्राम के निचले भाग के तालाब किनारे की सड़क को डुबो देता है। वे चाहते थे कि वर्षा काजल तालाब की ओर मुड़ जाय। जब पंचायत ने अपनी ओर से कोई पहल नहीं की, तब संघ की महिलाओं ने एकजु होकर, मिट्टी का बाँध बनाया जिससे वर्षा का जल बेकार बह जाने की अपेक्षा, तालाब में जमा होने लगा।

सेवाओं और सम्पत्ति का परिग्रहण

संघ की महिलाओं ने सेवाओं और सम्पत्तियों के परिग्रहण के लिए भी पहल की। यह तो हमेशा जीवित रहने के लिए आवश्यक है। बहुत-सी स्थितियों में, इस प्रक्रिया ने, संघ निर्माण के प्रारम्भिक चरणों को बल दिया। इससे वह प्रक्रिया भी शुरु हुई जहाँ महिलाओं ने संरचना पद्धति और शासन से प्रश्न करना और लेखा जोखा का हिसाब माँगना सीख लिया है। इससे उसमें मोल भाव और क्रय-विक्रय की क्षमता का पूरा विकास होगा। इस छोटे से कदम से पक्ष समर्थन का कार्यभार वे संभाल लेंगी। इससे

संरचना और संस्थाओं के साथ संघ की प्रक्रिया बढ़ेगी तता वे अग्रलक्षी और महिला समर्थक हो सकेंगे।

निजामाबाद जिला के नागीरेड्डीपेट मंडल में तांदूर ग्राम स्थित है। हम लोगों का वहाँ आना-जाना सन् ९८ के वर्षाकाल से प्रारम्भ हुआ। भयंकर वृष्टि से बहुत से घर गिर गये थे। वहाँ की औरतों ने यह बताया कि आवास व्यवस्था उनकी प्रमुख आवश्यकता है। उनको जो मुआवजा मिलना था जिसकी वे हकदार है, अब तक नहीं मिला था।

ये महिलाएँ सरपंच से मिलीं, पर उनसे कोई सहयोग नहीं मिला। इसके बाद जब हमारी महिला कार्यकर्ता ने मंडल कार्यालय में पूछताछ की, उसे बताया गया कि मुआवजा की रकम की मंजूरी आ गयी। गाँव में महिलाओं ने कहा कि मुआवजा की रकम मात्र ५०० रुपये है जो बिलकुल अपर्याप्त है। तब उन सबने इंदिरा विकास योजना के अन्तर्गत गृह निर्माण योजना के लिए आवेदन-पत्र दिया। जिससे उन्हें २०,००० की राशि की मंजूरी मिली।

महिलाएँ इस समस्या को अनुसूचित जाति निगम में ले गयीं। जब महिलाएँ अनुसूचित जाति निगम के कार्यचालक निदेशक श्री कोमरय्या से मिलीं, जो बड़े सहयोगी थे तुरन्त दस दिन में ग्यारह घरों को मंजूरी मिल गयी।

संघ के निर्माण में उपरोक्त उदाहरण एक श्रीगणेश है। इसके बाद संघ की शक्ति का विकास हुआ। वहाँ संघ की सम्प्रति संख्या बारह है।

कृषि में महिलाएँ

महिलाओं की स्थिति और दशा में परिवर्तन की सम्भावना है, यदि उनके परिग्रहण और संसाधन के नियंत्रण की ओर ध्यान दें तथा संस्थाओं और संरचनाओं में उपवर्गी या उपान्त स्थिति का निराकरण करें। हमने महिला समता कार्यक्रमों में सफलता पूर्वक दिखाया है कि महिलाएँ संसाधन पर परिग्रहण और नियंत्रण कर सकती है। परिवारों के भीतर और बाहर हिंसा की वारदातों से लेकर कन्याओं की शिक्षा और अपनी आर्थिक शक्ति को पुनर्व्याख्यायित कर सकतीं हैं।

महिला समता संघ के अनेक महिलाओं की उठायी हुई धारणीय आजीविका और उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण पर पर्याप्त चर्चाएँ हुई हैं। यदि संघ की महिलाओं की माँग पर ध्यान दिया जाय तो अपना कार्य केवल प्रशिक्षण और क्षमता की वृद्धि नहीं होगी वरन् तब हमें विशेष रूप से आग्रलक्षी कार्य करना पड़ेगा जिससे ये महिलाएँ संसाधनों के परिग्रहण में समर्थ हो सकेंगी और अधिक मूर्त आगत समस्या, जैसे जमीन और धन की व्यवस्था, जमीन खरीदने की सरकारी योजना से अन्तर्गथित करके महिलाओं की सहायता की जा सकती है।

विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत खेती में महिलाओं के लिए प्रस्ताव को परामर्शदात्री समिति ने विकसित किया, जिसमें महिला और कृषि विभागों ने मिलकर अन्तः प्रक्रियाओं से परस्पर जानकारी प्राप्त की। ऐसे अभिसरणों से, योजनाकार, योजना प्रक्रियामें महिलाओं का सीधा हस्तक्षेप स्वीकार कर सकते हैं। महिलाओं की सामूहिक शक्ति, ग्राम विकास में विशिष्ट योगदान दे रही है। इन परामर्शदात्री बैठकों में यह अनुभव किया गया कि इस प्रकार की परियोजना से महिलाएँ वृहद नीतियों को विशिष्ट रूप से प्रभावित कर सकती हैं। इस प्रयत्न से यह भी ज्ञात होता है कि महिलाओं के इस प्रयत्न से, वे ऐसी योजनाएँ अपना सकती हैं जिससे उनमें धारणीय संवृद्धि और आत्मनिर्भरता आ सक़ती है।

हमारे कार्य क्षेत्रों में बहुत से घर ऐसे हैं, अन्न खरीदने की शक्ति के अभाव में, खाद्यान्न और पौष्टिक असुरक्षा के शिकार हो जाते हैं। यद्यपि प्रदेश अपने अत्याधिक खाद्यान्न के भंडारों को और अपने सार्वजनिक वितरण योजना का दम्भ भरता है, किन्तु हमने यह देखा है कि ये योजनाएँ खाद्यान्न सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। तेलंगाना क्षेत्र में सामाजिक कृषि परिवर्तनों के कारण, बहुत सी जमीन परती छोड़ दी गयी है। हमारी परामर्शदात्री बहसो में, यह अनुभव किया गया कि अनेक कृतित्व की सहक्रिया से महिला श्रमिकों और इन बंजर जमीनों से धारणीय आजीविका बनाई जा सकती है और उनकी अन्न खरीदने की शक्ति बढ़ाई जा सकती है। इससे उन परिवारों में खाद्यान्न की आपूर्ति आश्वस्त हो सकती है।

हमारी योजना के घटक यह देखते हैं कि एक ओर लघु ऋण और तकनीकी निविष्टि दे और दूसरी ओर इन महिलाओं को खेतिहरों के लिए कृषि श्रमिक बनने में सहायक हो। महिला समता संघ ने अब तक महिलाओं को राष्ट्र के आर्थिक और अपने स्वतोविकास के लिए उत्प्रेरित किया है। इसने उनको विश्वास और साहस दिया कि कृषक के समान कार्य कर सकें। तेलंगाना क्षेत्र, जो अभी तक सामंतवादी और पितृसंतात्मक मूल्यों में डूबा है, उपरोक्त आन्दोलन, संघ की महिलाओं के लिए बहुत बड़ा कदम है। हमारी योजना सम्भवतः वहाँ स्थित शक्ति सम्बन्धों और समता के मुद्दों पर चुनौती दे सकती है, अतः हमारा अनुमान है कि इस योजना को स्वार्थ परायण समूह या समूदायों से भीषण अवरोध और विरोधों का सामना करना पड़ेगा।

स्वास्थ्य

महिला समता संघ का महत्वपूर्ण केन्द्रीय क्षेत्र स्वास्थ्य है। इसीको दृष्टि में रखकर, महिला समता संघ का महत्वपूर्ण कदम था कि व्यावहारिक यौन आवश्यकताओं की अपेक्षा विशेष यौन सुविधा दें। दल ने ग्राम स्तर पर मूल स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर संघों को केन्द्रित किया। इस प्रक्रिया में इन महिलाओं ने मंडल-जिला स्तर के स्वास्थ्य अधिकारियों से एक अच्छा सम्बन्ध बना लिया। इससे महिलाओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारों और स्वास्थ्य के अन्य अदृश्य पक्षों, जो उनके प्रजनन और अस्तित्व से सम्बन्धित नहीं है, पर अनेक विश्लेषण और वाद-विवाद हुए।

स्वास्थ्य नीति के रहस्योदघाटन से महिलाओं को यह स्पष्ट हो गया कि प्रदेश केवल प्रजनन और बाल स्वास्थ्य की ओर ध्यान देता है। परिग्रहण और कार्यक्रम को बनाये रखने के लिए, संघ की महिलाओं के साथ-साथ बाल-मित्र केन्द्रों के शिक्षकों से, अनेक स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों में सक्रिय भाग लिया। स्पन्द पोलियो, स्वास्थ्य शिविर, जन्मभूमि आदि।

यद्यपि यौन विषयक और तत्सम्बन्धी स्वास्थ्य समस्याओं पर संघ के क्षेत्रीय अधिकारी, नियमित रूप से चर्चा करते हैं, दल ने यह अनुभव किया कि उस विषय पर और कुछ प्रकाश डाला जाय अतः बाल की आंशिक क्षमता के निर्माण के लिए धीरे-धीरे प्रशिक्षण की पहल की गयी है। इन प्रशिक्षणों से स्वास्थ्य के यौन परिप्रेक्ष्य को मजबूत किया गया और उनके साथ ही ग्रमीण बाल स्वास्थ्य की समझ, महिला अधिकार, खाद्यान्न सुरक्षा विभिन्न शारीरिक क्रियाएँ और विभागों के अन्तर-क्षेत्र सहयोग, धारणीय संवृद्धि में महत्वपूर्ण कार्य करता है। फिर भी दल ने यह अनुभव किया कि क्षमता निर्माण का कार्य और प्रशिक्षण के बाद उसे कार्यक्षेत्र में कार्यान्वित करने के लिए समया भाव होता हैं। अतएव, इस वर्ष हमारा ध्येय संघ की महिलाओं की, उक्त क्षेत्रों में कार्य-कुशलता और क्षमता को मजबूत करने पर रहेगा।

संघ के स्तर पर, हमारे दलों ने स्वास्थ्य की परिस्थितियों पर चर्चाओं को केन्द्रित रखा जैसे प्रसव मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, और रक्तहीनता जो एक मौन हत्यारा है। इस संदर्भ में कुछ स्थानों पर संघ की महिलाओं का अंकित वजन ३५ से ४० कि. ग्रा. था जिसके आधार पर चर्चाएँ शुरू हुई और पौष्टिकता की नीति को समझाया गया। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले घटकों में महत्वपूर्ण घटक, उनके अनुसार, अपर्याप्त भोजन और भारी कामकाज है। उसी पर फिर चर्चाएँ हुई जिसमें उस समस्या के निराकरण के रास्ते सोचे गये। उसके अनेक विचार प्रस्तुत हुए, जिसमें अनाज बैंक, अन्न के रूप में मजदूरी, अन्न की खेती में बढ़ौती, वैकल्पिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसमें साल भर खाद्यान्न की सम्प्राप्ति हो। इससे महिलाओं की इच्छानुसार उनके मुख्य भोजन की आश्वस्ति हो। अभी तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में केवल चावल मिलता है जबकि उक्त क्षेत्रों में पारम्परिक मुख्य अन्न बाजरा-जवार है। इस पर विस्तृत विवरण, प्राकृतिक संसाधनों में देखिये। संघो की स्वायत्तता की ओर ठोस कदम के रूप में मजबूत संघों ने, दल ने सूक्ष्म वृहत सम्बन्धों और स्वास्थ्य की प्रत्येक व्यक्ति के मूल अधिकार के रूप में चर्चाएँ शुरू कर दी।

दल ने विस्तार से यौन स्थानान्तरण रोग एच. आइ. वी. और एड्स पर संघ स्तर पर चर्चाएँ शुरू कर दी। इन चर्चा चक्रों में यह स्पष्ट हुआ कि महिलाएँ अब कुछ ज्यादा ही सुरक्षित सम्पर्क के महत्व की ओर सतर्क हो गयी। अब वे जीवाणु मुक्त और प्रयोगोपरान्त फेंकने वाली सुइयों का दवाखानों और अस्पतालों में आग्रह करतीं हैं।

जिला करीमनगर के हुसनाबाद मंडल में, महिलाओं ने सहायक उपचारिक आया ( ) को संकेत दिया कि रोग मुक्ति के लिये दिये जा रहे इन्जेक्शन में उसी सुई का प्रयोग दुबारा न करें या उसे गरमपानी में उबालकर रोग मुक्त करें। इस पर उस सहायक उपचारिका आया ने कहा कि उसके पास सीमित सुइयाँ हैं और वह बार-बार प्रयोग करने के लिए बाध्य है। इतना सुनते ही, उन महिलाओं की तत्काल प्रतिक्रिया

सामने यह आयी कि अपने बच्चों के स्वास्थ्य के खातिर उसे नहीं मानेंगी और स्वयं ओर स्वयं प्रयोग के बाद फेंकने वाली सुइयाँ, किसी भी कीमत पर खरीद कर लायेंगी। व्यापक अभियान के आलोक में, परिनार नियोजन के बारे में जिसमें बटन बराबर छिद्र से शल्यक्रिया होती है, संघ की महिलाओं से उसकी दशा, प्रक्रिया के पश्चात करो या नाकरो, पर गहरी चर्चाएँ होती हैं। तब से संघ की महिलाएँ आपरेशन को आकारतः नियमानुसार करने को कहती है।

मेदक जिला के जोगीपेट में दल और संघ की महिलाओं के प्रशिक्षण के बाद दो दिवसीय मेला का आयोजन किया गया। उस जिले के सातों मंडलों की संघ महिलाओं ने सक्रिय रूप से उसमें भाग लिया और विचारों दृष्टियों का परस्पर विनिमय किया। यह मेला एक ऐसा मंच बना जिसमें विभिन्न समस्याओं जैसे व्यावहारिक यौन आवश्यकता और निर्णायक यौन अभिरूचि तथा शक्ति सम्पन्नता की प्रक्रिया में कैसे स्वास्थ्य की जानकारी होतीहै, पर चर्चाएँ की। इन्हीं संदर्भों में, चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए, दल ने, संघ की महिलाओं के प्रशिक्षण से उत्पन्न प्रभावों का विश्लेषण किया और यह देखा कि महिलाओं ने किस तरह आहार और स्वास्थ्य व्यवहारों में अभिवृत्तिक परिवर्तन करने में सहयोग दिया। अन्य शारीरिक और सामयिक घटक जैसे यौन असमानता, वातावरण की समस्याएँ जिससे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, पर चर्चाएँ हुई।

एक बैठक में एक आगन्तुक महिला ने संतोष व्यक्त किया कि वे अब प्रतिदिन नहाती हैं और ये देखती हैं कि परिवार का प्रत्येक सदस्य नहाए।

मेदक जिला के पुराने मंडलो में, महिलाओं में सामूहिक रूप से एक नल-कूप के चारो तरफ प्लैटफार्म बनाया और उसे सुधारा। फिर किसी को भी वहाँ धोने-नहाने की और पशुओं को धोने की इजाजत नहीं दी गयी। महबूबनगर में जहाँ कहीं संघ की महिलाएँ वार्ड की सदस्या के रूप में निर्वाचित हई, अपनी गली-कूचों की नालियों को ढकवा दिया या नियमित रूप से सफाई करवाती रही है। वस्तुतः गाँवों में संघ के प्रतिवेश ही पूर्णतः स्वच्छ एवं स्वस्थ है।

यौन भेद-विभेद तथा उसका स्वास्थ्य पर प्रभाव पर चर्चाओं के फल स्वरूप, अनेक संघ की महिलाओं ने यह बताया कि गृह कार्यों में अब पतियों के साथ अन्य परिजन भी हाथ बँटाते है। अब तो वे सब दिन में एक बार मिलकर भोजन करते हैं। इसे उनकी अभिवृत्ति में परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता हैं।

विभिन्न प्रदेशों और राष्ट्रीय स्तर पर पौष्टिकता, रक्तहीनता, खाद्य-सुरक्षा पर आयोजित कार्यशालाओं और अधिवेशनों में हमारे दल के सदस्यों ने भाग लिया।

महिला समता संघ में इन प्रसंगों को बड़ी श्रद्धा के साथ देखा जाता है। हमारा विश्वास है कि रक्तहीनता को वयस्कता या प्रजनन उम्र तक सीमित नहीं किया जा सकता वरन यह सम्पूर्ण जीवन काल में व्याप्त रहती है। ये सम्प्रति पितृसत्तात्मक व्यवस्था का प्रतिफल है। अधिकारों की समस्या पर, विशेषतः बाल कन्याओं के संदर्भ में ये विचार प्रतिबिम्बित हुए।

इसी संदर्भ में महिला समता का पौष्टिक सुरक्षा पर अव्वा बुव्वा कथा को यूनिसेफ के द्वारा फिल्मीकरण के निर्माण में आंशिक सहयोग था। महिला संघ ने इस फिल्म के कथा-विकास में प्रारम्भिक चर्चाओं में अपना योगदान दिया। इस फिल्म के कुछ अंश महिला समता के कार्य क्षेत्र में लिये गये। यह आशा भी की गई कि इस फिल्म को लघुमात्रा का प्रशिक्षण के रूप में संघ की महिलाओं के उपयोग में लाया जायेगा। किन्तु महिला समता में यह अनुभव किया गया कि ये फिल्म उन गहन विश्लेषण को जो फिल्मीकरण के पूर्व विचारा गया था, प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया में, पुराने मंडलों को संघ बैठकों में सामुदायिक स्वास्थ्य वित्त व्यवस्था पर चर्चा की गयी। इस परियोजना को विस्तार से बनाने के लिए महबूबनगर जिला के मगनूर मंडल की यात्रा की गयी जहाँ संघ की महिलाओं से ग्रामीण वैद्यकों से भेंट हुई। इस बैठक में ए. एस. सी. के डॉ. रामबाररू भी आये।

दो वर्ग की महिलाओं के साथ भागीदारी अभ्यास किया गया जिससे निम्न लिखित मुद्दों पर सूचनाएँ एकत्रित की गयी -

* विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का सामना
* मुख्य और मामूली रोगों के लिए उपचार
* स्वास्थ्य देने वालों के साथ अनुभव
* स्वास्थ्य सुरक्षा के निमित्त खर्च
* समस्याओं के निदान के लिए महिलाओं के विचार

पाँच ग्रामीण चिकित्सकों का अन्तर्साक्ष्य लिया गया। फल स्वरूप यह ज्ञात हुआ कि वे अनेक पक्षों पर प्रशिक्षण के लिए रूचि रखते हैं जैसे रोग के पूर्ण लक्षण की, उस स्थिति की जब उन्हें सम्पर्क किया जाय, अनेक दवाओं का प्रयोग, उसके पार्श्व प्रभाव और पूर्ण उपचार की आवश्यकता।

उपरोक्त चर्चाओं और अन्तर्साक्ष्यों के आधार पर, सामुदायिक स्वास्थ्य वित्तव्यवस्था योजना पर महिलाओं से चर्चा हुई है। उक्त सुझाव पर उन्होंने समर्थन पूर्वक प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसके बाद उन्होंने बहुत से प्रश्न किये जैसे - उपभोक्ताओं का शुल्क, पारिवारिक अनुदान, दवाओं की कीमत, परामर्श का शुल्क, मुलाकात की संख्या आदि। महिलाओं और ग्रामीण चिकित्सकों द्वारा उठाये गये प्रश्नों पर विस्तार से दल और संघ स्तर पर चर्चाएँ होगी जिससे एक स्पष्टतर कार्यक्रम की रूपरेखा उभरेगी। तदुपरान्त यह सुझाया गया कि कार्यक्रम महबूबनगर के मगनूर मंडल में मार्गदर्शी आधार पर प्रारम्भ किया जाय। यदि महिलाओं ने इस कार्यक्रम का स्वागत किया तो अन्य मंडलों और जिलों में विकसित करने की सम्भावना है।

(स्रोत : एक मार्गदर्शी कार्यक्रम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य वित्तीय सहयोग का प्रस्ताव - डॉ. रामा वी. बारू)

प्रशासन

सन् ९३ से आन्ध्र प्रदेश महिला समता से महिलाओं की राजनीतिक शक्ति-सम्पन्नता की समस्या को उठा रहा है। उस समय से महिलाएँ स्थानीय सरकार में नेतृत्व का भार वार्ड सदस्या या सरपंच की तरह उठा रही है और स्त्री सबन्धी समस्याओं का निदान करती है। वे सरकारी संरचनाओं और कार्यक्रमों का जायजा लेती है और उनके खर्चों का हिसाब माँगती है।

गत वर्ष हमने महिलाओं के राजनीतिक हस्तक्षेप के प्रश्न पर ध्यान दिया जो विकेन्द्रीकरण के सन्दर्भ में थे। महिला संघों का कार्य इस संदर्भ में किसी प्रभावक समूह के जैसे था जो परिवर्तन के पक्षपाती थे, और जो गरीबों और महिलाओं के पक्षधर थे। और इसमें महिलाओं की भागीदारी गाँव और मंडल स्तर पर अन्यान्य स्थितियों में देखी जा सकती है जिससे यौन तथा अन्य समस्याएँ ग्रामीण समुदाय को प्रभावित करती है।

महबूबनगर जिला के उत्कूर मंडल ग्राम आउसुलोनपल्ली में संघ का प्रारंभ सन् ९७ में हुआ। आज उसमें १०८ सदस्य है। संघ की दो औरतें वहाँ की ग्राम शिक्षा समिति की सदस्याएँ है। ग्राम में एक प्राथमिक शाला है जिसके बच्चों की संख्या १५२ है जिन्हें एक शिक्षक पढ़ाता है। एक शिक्षक के द्वारा उतनी बड़ी संख्या को संभालना मुश्किल जानकर एक और शिक्षक की जरूरत पड़ी। ग्राम शिक्षा समिति और संघ ने सरपंच को एक और शिक्षक की आवश्यकता के बारे में समझाने का प्रयत्न किया। किन्तु उसने उस प्रस्ताव का उत्साहजनक समाधान नहीं दिया। इससे ग्रामीण शिक्षा समिति के सदस्य नाराज हो गये। पूर्णतः बिगड़ती स्थिति को देखकर संघ ने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। अन्ततः सरपंच को अतिरिक्त शिक्षक की नियुक्ति की जरूरत को समझाया गया। फलस्वरूप, सरपंच ने ग्राम शिक्षा समिति की माँग को मंडल अधिकारियों के सम्मुख रखा। सप्ताह भर में उस गाँव में दूसरा शिक्षक पहुँच गया।

संघ की महिलाओं की परिवर्तित भूमिकाओं के लिए क्षमता निर्माण की आवश्यकता हुई, जिससे वे अन्य समस्याओं को और प्रभावी ढंग से हल कर सकेंगी। इसे कार्यान्वित करने के लिए दल के प्रशिक्षण की जरूरत है, जिसे वे संघ की महिलाओं के पास करा सकते हैं। उसी तरह प्रशासन के मुद्दे पर दल का प्रशिक्षण तीन चरणों में चलाया गया। ये चरण है -

(१) पंचायती राज प्रणाली पर आलोक डालते हैं, विभिन्न स्तरों में कैसे कार्य करते है, साधरणतः ग्राम, समुदाय और विशेषकर महिलाओं के लिये।

(२) हम लोग स्थानीय व्यवस्था से कैसे जुडते हैं।

(३) इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण ने विभिन्न नीतियों का गहराई से विश्लेषण को आलोकित किया, और उसके तर्काधार को कैसे निर्मित किया गया, तथा ये नीतियाँ ग्रामीण गरीबों और उपान्त समूह की हैसियत को कैसे प्रभावित करेंगी, देखा गया। महिला संघ के स्तर पर, व्यवस्था का मुद्दा, शिक्षा, स्वास्थ्य और वातावरण की अपेक्षा महिलाओं के उठाये हुए मुद्दों से जोड़ा गया, महिलाओं के साथ चर्चा से यह

स्पष्ट हुआ कि केन्द्रीय परिवर्तनों ने, मूलभूत जीवन को प्रभावित किया। उदाहरणार्थ कृषि को व्यावसायिक करने की चर्चा और वातावरण तथा महिलाओं पर उसके प्रभाव से व्यापक स्तर पर परिवर्तन होने से निम्न स्तर की यथार्थता प्रभावित हुई।

इस बिन्दु पर यह अनुभव किया गया कि प्रशासन को अन्य मुद्दों से तोड़ा नहीं जा सकता और अलग नहीं किया जा सकता। दल ने तब से यह निर्णय लिया कि यह मुद्दा, अन्य मुद्दों का अन्तरंग अंश होगा जिस पर महिला समता चर्चा करती है।

इसके साथ, हम सरकारी संस्थाओं और संरचनाओं के साथ अभिसरण की बात करते हैं। ऐसा एक कार्यक्रम **समुदाय अभिसरण क्रिया** का **जिला ग्राम्य विकास अभिसरण** के साथ हुआ जिससे अनछुए तक पहुँचने का प्रयत्न था। यहाँ ग्राम समुदाय अधिकारी कर्मचारी मिलकर सेवाओं को प्रभावी रूप में पूरा करते हैं। पिछले वर्ष संघ के साथ बैठक ग्राम्य समुदाय और अधिकारी कर्मचारियों की बैठक का आयोजन मेदक जिला के रीमोड मंडल में किया गया। इस बैठक का उद्देश्य यह था कि दोनों दलों को, सेवाओं की देन और प्राप्ति में आयी समस्याओं को सुनने का अवसर मिले। इसमें गहन चर्चाएँ और समभागी अभ्यास सुगम बना तथा पारस्परिक मान्य क्रियात्मक योजना का विकास आरम्भ हुआ।

विकेन्द्रीकरण की कार्यशालाओं में हम लोगों ने सरकारी कर्मचारियों और संघ की महिलाओं के बीच संवाद को सरल बनाने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए मेदक में आयोजित ऐसी एक विकेन्द्रीकरण की बैठक में महिलाओं ने न्यूनतम और समान भुगतान के मुद्दे को उठाया। सहायक श्रम अधिकारी को महिलाओं से बातचीत करने के लिए बुलाया गया और उसे इसके विधि पक्ष को समझाने के लिए कहा गया। महिलाओं के लिये यह एक सुन्दर अवसर सिद्ध हुआ जिससे सौहार्द पूर्ण घनिष्टता बढ़ी और फिर आगे उनको आधार मिलेगा जब यह मुद्दा क्रियान्वित होगा।

सम्प्रति महिलाएँ अनेक नीतियों का और उनके निर्वाह, उत्पादन और पुनर्जनन पर प्रभाव का अवलोकन कर रही है विश्लेषण के आधार पर जिला और रानीतिक प्रशासन अनुभाग के संवाद कर रही है कि इन कार्यक्रमों का पुनरावलोकन किया जाय।

राजनीतिक संस्थाओं, संरचनाओं, व्यक्ति और संघ महिलाओं के अन्तर्ग्रन्थन और अभिसरण से, हमें आशा है कि महिलाएँ अपने लक्ष्य को अनुभव करेंगी। महिलाओं और बच्चों के अधिकार अब सपने नहीं यथार्थ बनेंगे।

भविष्य में, महिला समता महिलाओं की कार्य कुशलता का उपयोग महिलाओं के जुटाव और संगठन के लिए किया जायेगा, संसाधन की प्राप्ति से मुख्य धारा की नीतियों में परिवर्तन किया जायेगा, उन्हें महिलाओं का पक्षधर बनायेंगे और जीवन यथार्थ से संदर्भित करेंगे। जिन थोड़े से क्षेत्रों में कार्यक्रम चल रहा है वे है स्वास्थ्य, बालिका की शिक्षा (श्रम कन्या) और खेतों में महिलाओं का कार्य।

विकेन्द्रीकरण

आन्ध्रप्रदेश महिला समता संस्था का विश्वास है कि विकेन्द्रीकरण शक्ति सम्पन्नता की प्रक्रिया का आन्तरिक अंश है। यदि हम सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे महिलाओं के हाथ में शक्ति आयेगी, तब विकेन्द्रीकरण ही अनिवार्य है। आन्ध्रप्रदेश महिला समता संघ की सभी चर्चाओं और विश्लेषण में यही दृष्टिकोण उपस्थित किया गया। यदि इन संघों को आत्मनिर्भर, स्वतंत्र और सामाजिक यौन समानताओं की उपलब्धियों के विपर्यय को रोकने के लिए उन्हें व्यापक क्षेत्रों में सामूहिक संगठनों का, जैसे मंडल महासंघ, का निर्माण करना पड़ेगा।

मंडल का विकास और प्रशासन की एक इकाई समझा जाता है। इसमें २५ से ३० ग्राम रहते हैं और इसीलिए विकास और प्रशासन का यंत्र सहज गम्य है। किसी भी नीति निर्णय के निर्माण के लिए मंडल ही आधार माना जाता है और यह स्थानीय राजनीति से प्रभावित भी होता है। महिला समता के उद्देश्य और दर्शन के परिप्रेक्ष्य में जब यह देखा जाता है, मंडल महासंघ वह स्रोत बन जाता जहाँ महिलाएँ समुदाय के रूप में, अपने परिवेश और व्यापक वातावरण को प्रभावित कर सकती है। महिला संघ जानबूझ कर उन जिलों में विकसित हुआ जो विधायकों और सांसदों का निर्वाचन क्षेत्र है। महिलाओं को निजी तौर पर अपने क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से सम्पर्क करने के लिए प्रेरित भी किया गया। इससे जब कभी उन क्षेत्रों में कोई कार्य-क्रियान्वित नहीं होता तो वे महिलाएँ उन प्रतिनिधियों से प्रश्न भी करती है।

मेदक और महबूबनगर में विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हुई, जबकि वहाँ पुराने मंडलों जैसे पुलकाल और अडोल (मेदक), उत्कूर (महबूबनगर) में महिला केन्द्र नहीं थे। कार्यक्रमों की निरन्तरता को, इन मंडलों में जिला कार्यान्वयन इकाई ने बनाये रखा जो कार्यक्षेत्रों का अवलोकन करती रहती है।

फिर यहीं से संघों के विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया। मजबूत संघों को बैठकों के लिए बुलाया गया जिसने छोटे-छोटे बहु इकइयों की बैठक बुलायी। ये बैठकें निरन्तर अन्तराल में होती रही। फिर इन सब छोटी-छोटी इकाइयों को मंडल महासंघ की बैठक में बुलाकर सामान्य विषयों पर चर्चा की गई तथा एक क्रियात्मक योजना को विकसित किया गया।

गत वर्ष जून और अक्तूबर में क्रमशः मेदक और महबूबनगर में दो बैठकें हुई जिसमें महिलाओं ने बड़े उत्साह से भाग लिया। यह तब तय हुआ कि ऐसी बैठकें कुछ-कुछ अन्तराल के बाद नियमित रूप से आयोजित की जायेगी और उसकी पूरी कार्य-सूची महिलाएँ ही बनायेंगी। तब से हमारे दल ने, महासंघ की सम्भवित संरचना और भूमिका को दो बार विचारादेश किया। जबकि यह उद्दीपक अभ्यास है, इन मुद्दों का और स्पष्टीकरण होना बाकी है। इस विषय को संघ में ले जाने की आवश्यकता है जो महासंघ की संकल्पना करता है।

क्षमता निर्माण

महिला संघ ने, सचेत होकर यह निर्णय लिया कि ऐसा स्थान उन्हें दिया जाए जहाँ संरचित अंतःनिरीक्षण हो सके। प्रशिक्षण और कार्यशालाएँ अग्रदल और पर्यवेक्षण की बैठकें ऐसी जगह पर हुई जहाँ उनके विचार अभिव्यक्त हुए। उनके विचारों से दल और संघ की महिलाओं की वैचारिक स्पष्टता और परिदृश्य विकसित हो सकें। जो कार्य निपुणता हस्तक्षेप और क्रियाकलाप परस्पर अन्तर्भुक्त हुए, इन अभिव्यक्तियों में मजदूरी के साथ-साथ सामने आयेंगे। इस दल की प्रमुख चिन्ता यह है कि इस ज्ञान को स्थानान्तरित और परस्पर कैसे नये दलों और संघों में बाँटें। अपने लक्ष्य और उद्देश्य की अनुभूति के लिए प्रशिक्षण हमारा प्रमुख घटक था। बाह्य संसाधन के व्यक्ति जो इन कार्यक्रमों से जुड़े थे, हमारे क्रियकलापों को प्रोत्साहित करने में तत्पर रहे। किन्तु अन्य लोग जो हमारे दर्शन से अनभिज्ञ थे, बड़ा झमेला खड़ा किया जिससे प्रशिक्षण के साथ चलने की आवश्यकता की समस्या अनिर्णित ही रह गयी।

इस वर्ष हमने दल की क्षमता निर्माण की ओर विशेष ध्यान दिया है। जिसे दो स्तरों पर देखा जा सकता है।

* प्रशिक्षण
* उदभासन अभिगमन

दल प्रशिक्षण

महिलाओं की माँग और मुद्दों की आवश्यकताओं के अनुकूल प्रशिक्षण के उपकरणों के विषय में निर्णय लिया गया। तदनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासन के मुद्दों पर, (जिस पर इस रपट से पहले आलोक दिया जा चुका) प्रशिक्षण दिया गया। यौन और आर्थिक विकास पर भी हमने कार्यशालाओं का आयोजन किया। यौन सम्बन्धित कार्यशालाओं में घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न पर प्रकाश डाला गया। इससे दल को इन मुद्दों पर अगले वर्ष की योजना और अधिक स्पष्ट हो गयी।

इस वर्ष दल ने उन कार्यक्रमों के घटकों का अध्ययन इस इरादे से किया कि आन्ध्र प्रदेश महिला समता संघ के योजनारत गाँवों में उसकी उपयोगिता को क्रियान्वित किया जा सके।

महिला संघ स्वामी नारायण शोध प्रतिष्ठान और प्रिपेर

दस सदस्यों का एक दल चेन्नई, पाण्डेचरी और नेल्लोर में इन परियोजनाओं के अवलोकन के लिए दौरा किया। दल ने यह अनुभव किया कि इस दौरे से नयी चीजों को सीखने और अपनी परियोजना के मूल्यांकन का अवसर मिला। एम. एस.एस.आर.पी. में सूचना ग्राम शोध योजना के अन्तर्गत जेव ग्रामों और ग्रामीण जनता के पास सूचना तकनीकी लाने का एक अग्रगमन प्रयास है। इसी प्रकार की योजना के निर्माण में ये अनुभव बहुत सहायक सिद्ध होंगे, हम जिसे विकेन्द्रीकरण की प्रकिया में संकल्पित कर रहे हैं। दल ने यह भी अनुभव किया कि इस योजना के अन्तर्गत यौन घटक को मजबूत किया जाय। नेल्लूर के प्रीपेर दौरे से दलो मछुआरों के जीवन के अन्तरंग को देखने का अवसर मिला। झींगा उत्पादन की समस्या ने उनके जीवन को कष्टमय बना दिया। हमारे दल ने प्रीपेर के दल के साथ यौन सम्बन्धी मुद्दों पर विचार विमर्श किया।

चेतना एवं महिला समता, गुजरात

पाँच सदस्यों का एक दल गुजरात के इन दो संगठनों में गया। चेतना के पाँच दिवसीय कार्यशाला में नारी स्वास्थ्य निर्माण के परिपेक्ष्य मे दल सम्मिलित हुआ। दल का अनुभव यह था कि उक्त कार्यशाला के सत्रों में जो चर्चाएँ हुई, तो आं.प्र.म. समता संघ के प्रशिक्षण में पहले ही हो चुकी थी। दल ने महिला समता, गुजरात दल के साथ विचार विमर्श किया और राजकोट, बड़ौदा के महिला शिक्षण केन्द्रों और महिला समता ग्रामों का एभी दौरा किया। उन लोगों ने बड़ौदा में नारी अदालत देखी। महिला पंच के सामने लाये गये मुकदमों के निपटाने में उनकी क्षमता से प्रभावित हुए। सन् १९९५ से उन लोगों ने २४० मुकदमों का निपटारा किया और ७५ प्रतिशत मुकदमों के फैसले महिलाओं के पक्ष में हुए। स्थानीय औपचारिक न्यायालय ने महिलाओं द्वारा किये गये फैसलों का समर्थन किया। अपने दल ने यह अनुभव किया कि इस कार्यक्रम को आ.प्र. महिला समता संघ की महिलाओं को लेना चाहिए और उसमें गुजरात की सहयोगिनियों के समान सक्रिय होना चाहिए।

महिला समता उत्तर प्रदेश : जिला कार्यान्वयन इकाई, बाँदा और वाराणसी

एक बारह सदस्यों का दल उत्तर प्रदेश के जिला कार्यान्वयन इकाइयों का दौरा किया। इनकी धारणा यह बनी कि उनके यहाँ कार्यक्रम में केवल शिक्षा के मुद्दे को महत्व दिया गया है। वे ग्रामों के स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थितियों पर चिन्तित अवश्य थे। इन दलों ने महिला शिक्षण केन्द्रों और नारी अदालत भी देखी और उनसे बहुत प्रभावित हुए। वाराणसी के महिला शिक्षण केन्द्र, जिसे सहयोगी दल, महिला समता के साथ चलाता है, विकेन्द्रीकरण का एक आंशिक कार्य है।

नेटवर्क और प्रलेखीकरण

इस क्षेत्र में अत्यधिक सक्रियता आयी है। आ.प्र. महिला समता संघ के प्रायोजित क्षेत्रों में अनेक फिल्मों का निर्माण हुआ है। उन फिल्मों और मुद्दों का विवरण निम्न लिखित है -

* महबूबनगर जिले में लिया गया किशोर बालिकाओं के श्रम पर श्री मणिशंकर का ब्लीडिंग हार्ट्स (एक स्रावित हृदय)

* बालविवाह के मुद्दे पर दूरदर्शन की फिल्म **कहानी तेलंगाना की।**

* खाद्यान्न सुरक्षा पर दीपा धनराज की फिल्म **अव्वा बुव्वा कथा।** इसे महबूब नगर जिला के डी.डी.एस. योजना क्षेत्र में बनाया गया।

* प्रसव मृत्यु पर दूरदर्शन पर फिल्म। इसे आदिलाबाद और महबूबनगर में बनाया गया। अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में बनाया गया और ६ मार्च १९९९ को प्रसारित किया गया।

* दूरदर्शन एवं अन्य निजी चैनलों ने शिक्षा और बाल अधिकार अधिवेशन में हमारे हस्तक्षेप का फिल्मीकरण किया।

* संसाधन केन्द्र : इस वर्ष हमने जहाँ महिलाओं के लिए कोई चिकित्सक नहीं का अनुवाद और प्रकाशन किया। इन अध्यायों में आ.प्र. म. समता समिति के योजनारत क्षेत्रों के क्षेत्र-परीक्षण का विवरण है।

* इस वर्ष हमने बाल अधिकार अधिवेशनों पर तीन पुस्तकें और दस विज्ञप्तियाँ प्रस्तुत की। यूनिसेफ के सहयोग से यह कार्य सम्पन्न हुआ है। उस संदर्भ में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश के अन्यान्य संगठनों ने भाग लिया और जो सुझाव दिया गया उन्हें पुस्तकों एवं विज्ञप्तियों में संकलित किया गया।

* अंग्रेजी और तेलुगु में प्राकृतिक संसाधन और सम्पत्ति निर्माण की रचना पूर्ण हो गयी और उसका प्रकाशन इस वर्ष कर दिया जायेगा।

* हमारे दल के सदस्यों ने अनेक संगठनों से कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, समारोहों तथा विकास सम्बन्धी मुद्दों के लिए विचार विमर्श किया। (ग्राम भागीदारी के अन्तर्गत)

* महबूबनगर के एक अराजपत्रित कर्ता को स्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दों का प्रशिक्षण दिया गया।

*जीवनदाता ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत महबूबनगर जिले के ग्राम विकाराबाद के अराजपत्रित कर्ता को यौन सम्बन्धी मुद्दों पर प्रशिक्षण दिया गया।

* आ.प्र. के तटीय क्षेत्र में कार्यरत प्रीपेर और अराजपत्रित कर्ता को यौन और उससे सन्दर्भित मुद्दों पर प्रशिक्षण दिया गया।

* दल के सदस्यों ने आन्ध्र प्रदेश और बाह्य प्रदेशों में संगोष्ठियों और कार्यशालाओं में भाग लिया।

* विज्ञान और वातावरण केन्द्र दिल्ली द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के वर्षा जल के सम्भाव्य संकलन। अक्टूबर १९९८

* कार्यशील महिला मंच, चेन्नई के द्वारा आयोजित पुनर्योजित बाल स्वास्थ्य पर संगोष्ठी। अक्टूबर १९९८

* स्वास्थ्य और परिवार कल्याण भारतीय संस्थान, हैदराबाद के द्वारा आयोजित पौष्टिक रक्तहीनता पर कार्यशाला। दिसम्बर १९९८

सहायता अनुदान

इस वर्ष तीन संगठनों, स्वास्थ्य, शिक्षा और सूचना एवं प्रलेखीकरण पर सहायता अनुदान प्राप्त हुआ।

१९९९-२००० की वार्षिक योजना

गतवर्ष की वार्षिक योजना के सूक्ष्म निरीक्षण से यह ज्ञात हुआ कि क्षेत्रीय और संगठनात्मक प्रक्रियाओं को पर्याप्त बल और समेकन मिला। दल ने सगर्व स्वीकार किया कि वार्षिक योजना के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में हमने अपने उद्देश्यों की उपलब्धि की। फिर भी, हम यह संकेत करेंगे कि हमारे प्रयत्नों को बहुत ही नीचा दिखाया गया, जिसका मूल कारण राष्ट्रीय कार्यालय से हमें समय पर अनुमानित राशि प्राप्त नहीं हुई थी। फलस्वरूप हमें अपनी बहुत-सी योजनाओं के कार्यकलापों को ताक पर रख देना पड़ा। इस एकीकरण की प्रक्रिया, इस वर्ष किया जाएगा, राष्ट्रीय कार्यालय से अपेक्षित राशि-प्राप्ति पर। गत वर्ष के हमारे अनुभव दर्शाते है कि संघों ने सामाजिक और यौन समानता, हकदारी तथा अपने अनुभव और शिक्षा को मूलधारा में प्रवाहित करने की पहल की। कुछ कार्यक्षेत्रों में हमारी प्रमुख उपलब्धियाँ जो थीं, वे हैं -- बालविवाह की प्रथा का, जोगिनी दीक्षा का, बाल श्रमिकों पूर्णतः निर्मूलन। इस वर्ष हमारा प्रयत्न यह रहेगा कि इन उपलब्धियों को और ऊपर उठायें और उन प्रक्रिया विपर्यय को रोकें।

विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत, ग्रामीण भूमिहीन महिलाओं को गत दो वर्ष के विकासशील कार्यक्रमों में शक्तिशाली बनाने की मूल योजना थी। फल स्वरूप इस प्रक्रिया का व्यापक ढाँचा उभरा है। इसी को आगे करके, दल और संघों ने, सभी स्तरों पर संरचना, भागीदारी और अधिकारों का एक स्वच्छ और साफ चित्र बनाने की योजना है। इस वर्ष हमारी योजना का आधार कार्य सूक्ष्म, माध्यमिक और विशाल के अन्तर्गन्थन को मजबूत बनाने है। इसके लिए नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं की, जिससे महिलाएँ और बच्चे प्रभावित है, एक सूची बनानी पड़ेगी। हमारे परिपत्रों और अन्य माध्यमों से इस रहस्य का

निवारण और सूचना प्रसारण करना होगा। दल एवं संघ की महिलाएँ सम्मिलित रूप से आंकड़े और सूचनाएँ एकत्रित करेंगी जिससे सरकारी नीतियों के वक्तव्यों के साथ त्रिभुजन हो सके। इससे समुचित प्रशिक्षण उन्हें दिया जा सकेगा जिससे उनकी सूचना, संकलन और वार्तालाप की क्षमता एवं कुशलता बढ़ सकेगी। हमारी योजना है कि अन्य संस्थाओं और संरचनाओं से सहयोग लेकर इन परियोजनाओं को स्थापित करें।

महिलाओं को शक्ति सम्पन्न बनाने की हमारी प्रक्रिया से पूर्व अनुमानित है कि महिलाएँ हमारे कार्यक्रमों के मुख्य कर्ताधर्ता होंगी। महिला समता संघ में यह विश्वास है कि शक्ति सम्पन्न बनाने की प्रक्रिया में लड़कियो और किशोरियों को भी सम्भालने का उत्तरदयित्व दिया जाय। सार्वभौम मान्यता है कि बालकों को विकास कार्यक्रमों में विशेष ध्यान की आवश्यकता है। यह समस्या तब उभरती है जब हम किशोरियों की बात करते हैं। भारतीय समाज में मानव विकास के लिए कैशोर्य के महत्व को माना नहीं जाता है। इसीलिए विकास कार्यक्रमों में किशोर कन्याओं को कोई पूछता नहीं है।

ऐसी कन्याओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर अनेक कार्यक्रम और योजनाएँ बनी हैं। इसके अतिरिक्त लड़कियाँ भी समानता का अधिकार प्राप्त नहीं कर पाती है। उसे अपने जन्म से भेदभाव का बोध होता है। जैसे ही वह किशोर अवस्था की ओर बढ़ती है, आज्ञाकारी बनने और स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध उसके लिए असह्य हो जाता है। महिला शिक्षण केन्द्र की एक कन्या कहती है - हमें अपनी अनुजाओं और विवाहित अग्रजाओं की स्वतंत्रता देखकर जलन होती है।

इस अतार्किक और भेदभावपूर्ण रीति-नीति, संस्कार और मूल्यों के वातावरण में किशोर बालिकाओं के लिए कोई स्थान अवसर या समय नहीं है जिससे उनके शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, और संवेदनशील आवश्यकताओं के बदलाव से वे समझौता कर सकें। उनकी यौन सम्बन्धी चेतना और सोच को दबा दिया जाता है और उसके प्रति निरुत्साहित किया जाता है। यह भी उसके जीवन का ऐसा चरण है जिसमें पितृसत्तात्मक मूल्यों और सिद्धान्तों से अवगत होना पड़ता है। ये द्विगुणित मूल्य उसमें ऐसे समाहित हो जाते हैं जिससे उसके स्वाभिमान, प्रतिष्ठा और पहचान का पतन हो जाता है।

महिला समता संघ में शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, नेतृत्व और व्यवस्था के मुद्दों पर उपरोक्त इन तीन दलों को उत्तरदायी बनाने के लिए आवश्यक है। हम लोग इस वर्ष अपने लघु प्रयासों को मजबूत करेंगे, जिसकी पहल गत वर्ष हो चुकी है।

सम्पूर्ण प्रक्रिया इन मुद्दों पर, उपरोक्त तीनों दलों के उत्तरदायित्व को लेकर आलोकित किया गया है।

* अधिकार : अस्तित्व, विकास और सुरक्षा के अधिकारों के मुद्दे पर।

* वर्तमान पितृसत्तात्मक नियम, मूल्य और प्रणाली को चुनौती देने के योग्य बनाना। इसमें संस्कारों के परिवर्तन का भी प्रयत्न है (रजस्वला होने पर लड़कियों को तीन या पाँच दिन तक अलग रखने की प्रथा) रूढ़ियाँ (बाल विवाह और जोगिनी दीक्षा) तथा प्रावृत्तिक आदतें (भोजन में मतभेद, पुत्र प्राप्ति की कमाना आदि)

* पहचान के लिए सुविधा और संसाधनों की पहुँच, कार्यकुशलता, आजीविका और सूचना उन प्रमुख उत्तरदायी लोगों को जो उपरोक्त बदलाव लागू कर सके।

कन्या

इस दल का मुख्य कार्य क्षेत्र अधिकार का मुद्दा होगा। अस्तित्व के अधिकार स्वास्थ्य पक्षों जैसे रोग-मुक्ति और समुचित पौष्टिकता बढ़ते हुए बच्चों के लिए, विशेषकर कन्याओं के लिए। ये यौन भेद-भाव खाद्यान्न और पौष्टिकता के प्रसंग में सत्य है। इससे रक्तहीनता पीढ़ी दर पीढ़ी विकृत जीन की तरह चली आयी।

विकास के अधिकार के अन्तर्गत, सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा पर विशेष महत्व दिया गया। कुछ हद तक उसमें सफलता मिली। जिला मेदक के शंकरपल्ली मंडल के दो गाँवों में शत प्रतिशत बच्चे पाठशालाओं और छात्रावासों में नामांकित कर दिये गये हैं। इस वर्ष उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास तीव्र कर दिया गया है। हम लोग शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षण के ग्रीष्मकालीन शिविरों में भाग लेंगे। हमारा उद्देश्य इन शिविरों के लिए बच्चों और उनके अभिभावकों का जुटाव रहेगा।

बालमित्र केन्द्रों में सेतु कोर्स चलता है जिससे बालश्रमिकों, बच्चे जो पाठशाला कभी नहीं गये और अनुत्तीर्ण बच्चों को लाया जाता है। इस प्रकार के बच्चों को ध्यान में रखकर, गत वर्ष दल ने एक पाठ्यचर्या का विकास किया जो यौन परिप्रेक्ष्य, जीवन में कार्य कुशलता और शिक्षा पर आलोक डालता है। साधारण विषयों जैसे अंक गणित, विज्ञानादि के साथ इस पाठ्यचर्या में स्वास्थ्य, प्राकृतिक संसाधन और प्रशासन पर भी महत्व दिया गया है।

इस वर्ष हमने अनौपचारिक शिक्षा के मुद्दे को नयी दिशा देने का निर्णय लिया है। अध्ययन और अध्यापन के लिये संदर्भित उपकरणों के प्रयोग का आग्रह है। उदाहरण के लिए सहभागी ग्राम मूल्यांकन तकनीक के द्वारा सामाजिक संसाधन, मानचित्र के प्रयोग से भूगोल और उसके मूल्यांकन को किस प्रकार ग्राम समुदायों में वितरित किया जाता है, सिखाया जा सकता है। मौसमी विश्लेषण और सामयिकता की तकनीक को बढ़ाकर ग्राम्य जीवन से सम्बन्धित मुद्दों पर विश्लेषणात्मक विचार किया जा सकता है। इससे परिवर्तनशील केन्द्र के व्यापक स्तर से परिवर्तित ग्राम के निम्नतम जीवन को प्रभावित करनेवाले मुद्दों पर बहस की जा सकती है।

महिला समता में हम यह अनुभव करते है कि उपरोक्त मुद्दों पर बच्चों का विकासशील विश्लेषण और विचारणा उन्हें भविष्य में शक्तिशाली व्यक्ति बना देगा और वे अपने जीवन से जुड़े मुद्दों को अग्रगामी रूप से सुलझायेंगे। इसी धारा में सोचते हुए यह विचार उत्पन्न हुआ कि ग्राम स्तर पर जैव-वैभिन्न्य खातों को खोला जाय। इस वर्ष हम लोग इस विचार को क्रियान्वित करेंगे। उदाहरण के लिए अब बहस यह हो रही है कि खाद्यान्न की खेती से हटकर व्यावसायिक लाभ की खेती करें। इस परिवर्तन के

साथ प्राकृतिक संसाधनों जैसे- भूमि, जल और जंगल में परिवर्तन को रिकार्ड में रखे तो इसके आधार पर संघ की महिलाएँ इन मुद्दों की विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया में आगे ले जा सकती हैं।

महिला समता किशोर लड़कियों के दलों, जिसे बालिका चेल्ली संघम कहते हैं, के निर्माण में कार्यरत हैं। इन दलों में पाठशाला जाने वाली लड़कियाँ है, अनुतीर्ण भी है और वे भी जिन्होंने स्कूल नहीं देखा है। इन किशोरियों को उनकी बैठकों के लिए प्रेरित किया जाता है, जिसको प्रारम्भ में महिला समिति या कल केन्द्र के शिक्षण सुगम करते हैं। जैसे- जैसे ये दल बढ़ते हैं, यह आशा की जाती है कि ये किशोरियाँ अपने ही मुद्दों को स्वयं सुलझायें। इस वर्ष हम उन लड़कियों को प्रेरित करेंगे जो संघ की नियमित बैठकों में भाग लें जिससे संघ द्वारा उठाये मुद्दों को समझे और सामूहिक रूप से उनके निदान या हल करने के तरीकों को समझे। इससे यह अनुभव किया गया है कि संघ के भावी नेताओं की तैयारी हो सके। इन दलों में विशेषकर कैशोर्य सम्बन्धी मुद्दों की चर्चा की जाती है, जैसे रजस्वला होना, पुनर्जनन, यौन सम्बन्ध। किशोरियों को महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता भी चर्चा का महत्वपूर्ण मुद्दा है, जैसे शक्ति सम्पन्नता की प्रक्रिया बचपन से ही प्रारम्भ हो जाती है।

यह आशा की जाती है कि इन बैठकों में दल के शिक्षा सत्र होंगे, जहाँ सहभागी तरीकों, (पहले जिसकी चर्चा की गयी) का प्रयोग पढ़ने लिखने की कुशलता के लिए होगा। इस दल की लड़कियाँ इसमें अन्तर्भावित होकर जैव-वैभिन्य की खाता बही लिखेगीं। यह अनुभव किया गया है कि विकेन्द्रीकरण के सन्दर्भ में इन किशोरियों की सहभागिता अनिवार्य है। इस विशिष्ट क्षेत्र, जहाँ जरूरी समझा गया है कि मंडल सूचना केन्द्रों और औषधि बैंक के रखरखाव और चलाने का कार्य आगामी तीन वर्षों की योजना है। तदनुरूप, महिला शिक्षण केन्द्रों में अपेक्षित प्रशिक्षण दिया जायेगा।

किशोरियों के लिए महिला शिक्षण केन्द्र, मुख्य कार्यक्रमों में से एक है, जहाँ उनका हस्तक्षेप होगा। ये १२-१६ वर्ष की उम्र के सदस्य-दल को देखेंगे। इनके नियमित एक वर्षीय पाठ्यक्रम की अपेक्षा, १८ वर्ष की और अधिक उम्र की महिलाओं के लिए ३-६ मास के पाठ्यक्रम को लागू करने की आवश्यकता है। इससे उनके विधिक प्रशिक्षण पर प्रकाश पड़ता है। यह प्रयास विकेन्द्रीकरण के वातावरण में उनकों नेतृत्व-भार के लिए तैयार करना है।

गत वर्ष महिला समता ने प्रांगणम् महिला शिक्षण केन्द्र योजना को महिला वित्तीय निगम के साथ मिलकर उठाया जहाँ हमने किशोरियों के जुटाव, पाठ्यचर्या के विकास और शिक्षको को प्रशिक्षण दिया। किन्तु कार्यान्वियन की प्रकृति में अन्तर आ जाने से कई कठिनाइयाँ उभरी। अतएव इस वर्ष हम लोग प्रशिक्षण का कार्य, विशेषकर यौन सन्दर्भ में करेंगे।

पुराने जिला संघ स्वायत्तता के स्तर को पहुँच गये। विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया, जो गत वर्ष में प्रारम्भ की गयी थी, इस वर्ष भी चलायी जायेगी। इस मुद्दे पर दल ने गत वर्ष विचारावेश भी प्रदान किया। संघो के विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी। महासंघ इस प्रक्रिया में क्या कार्यभार सम्भालेगा, उसका इस वर्ष ठोस कदम उठाया जाएगा। महासंघ की संरचना क्या होगी, इस दिशा में ठोस कदम के उभरने के बाद, यह सोचा जाएगा कि महिला केन्द्रों, जिला कार्यान्वयन समिति और प्रादेशिक दलों का कार्यभार क्या होगा ? यह सूचना है कि जिला कार्यान्वयन दल संसाधन दल के रूप में परिवर्तित हो जायेगा। इस कार्यभार परिवर्तन के कारण किस क्षमता की आवश्यकता होगी।

इस वर्ष हम जनमंच के आयोजन की सोच रहे हैं, जहाँ संघ की महिलाएँ, बहुत बड़े स्तर पर जीवन सम्बन्धी मुद्दों पर विचार करेंगी। ये वो मंच जहाँ वे सरकार और अन्य संस्थानों से विचार विमर्श कर सकेंगी और यह पारस्परिक ज्ञानार्जन की प्रक्रिया होगी। यह अनुभव किया गया है कि ऐसे मंच को केवल महिला सम्बन्धी समस्याओं तक सीमित नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे बालकों और किशोरियों से सम्बन्धित मुद्दों से भी जोड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए बाल श्रमिकों से। ये तो संघ के मेलों और महामंडल बैठकों से भी जुड़े है।

संघो ने सफलतापूर्वक अस्तित्व, सामाजिक और यौन समानता के मुद्दों को उठाया है। अब साथ ही साथ आजीविका की समस्या को भी देख रहे हैं। महिला समता दल की बैठकों में महिलाओं के द्वारा पेश किये प्रसंगों, जैसे धारणीय आजीविका और उत्पादनों के साधनों का नियंत्रण पर पर्याप्त चर्चाएँ की गयी है। यदि महिलाओं की उपरोक्त माँगों को उठाया जाय, तब हमारा कार्यभार केवल प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण रह जायेगा और अधिक मूर्त निविष्टि, जैसे जमीन और धन महिलाओं को उपलब्ध, सरकारी विभागों का अभिसरण कर, कराया जा सकता है। यही महिला कृषि में योजना का प्रारम्भिक चरण, महिला समता ने कृषि विभाग के साथ मिलकर उठाया था। इस योजना का उद्देश्य था कि गृह खाद्यान्न सुरक्षा और यौन रूढ़ियों की चुनौती। महिलाओं के संसाधनों को उपलब्ध करा कर और नियंत्रण कराकर किया जा सका है। हमारे ये प्रयास महिलाओं की उन योजनाओं को उठाने के प्रयत्नों और धारणीकरण और आत्मनिर्भरता को प्रतिबिम्बित करेगी।

विकेन्द्रीकरण के सन्दर्भ में अभिसरण का महत्वपूर्ण योग है। डब्ल्यू. आइ. ए. की योजना के अतिरिक्त महिला समता ने सामूदायिक अभिसरण क्रिया को अपनाया जिसमें समुदायों को मूल सुख-साधन सुविधाओं की प्राप्ति हो सके। हमारा यह कदम हम समुदायों, संस्थाओं और संरचना के लिए निम्न स्तर से उठाते हैं, जिससे परस्पर उनमें अन्तःप्रतिक्रियाएँ विकसित हों। समुदायों की यह माँग, व्यवस्थाओं और संरचनाओं से लेखा-जोखा विकासवादी जन-केन्द्रित और महिला केन्द्रित योजना और नीतियों के लिये प्रयत्न होगी।

सन् १९९३ से महिला समता का स्वास्थ्य के लिए लोकप्रिय हस्तक्षेप रहा है। क्या इसे विकेन्द्रीकरण के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। संघों के साथ-साथ हम सामुदायिक स्वास्थ्य, वित्तीय सहायता और औषधी बैंक (आधुनिक और पारम्परिक उपचारों के लिए) चर्चाएँ करते रहे और उनसे अपेक्षित विचारों सुझावों को प्राप्त भी किया है। इससे ग्रामीण वैद्यकों के प्रशिक्षण की बात सामने आयी, क्योंकि वहाँ उन्हीं से रोग निदान के लिये सलाह लेते है। आगे तीन वर्षों में स्वस्थ्य सम्बन्धी योजना पर हम यही विचार करेंगे। इस विचार को रूप और आकार देने के प्रयास में चर्चाएँ प्रारम्भ हो गयी है। इस वर्ष उसके क्रियान्वयन पर निर्णय लिया जायेगा।

उपरोक्त विचारों को रूप और आकार देने के बाद, संघों के द्वारा और उनके पास ले जाने से यह जानना अनिवार्य होता है कि महिला समिति की वर्तमान स्थिति क्या है कि हमने अपने प्रारंभ काल से प्रदेश पर क्या प्रभाव डाला है। महिला समिति कोई सेवा प्रदान करने वाला कार्यक्रम नहीं है और उसके प्रभावों को मूर्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमारा दल इसके श्रीगणेश से कार्यक्रम का मूल्यांकन करना चाहता है। इसमें कुछ विशिष्ट प्रक्रियाओं का प्रलेखीकरण भी किया जा सकता है। संघों के विकास की योजना - समस्या और सरोकार, किस प्रकार संघों का सरकारी और निजी संस्थानों से जुड़ने की खोज की जा सकती है। ऐसे पर्यालोचन से न केवल यह ज्ञात होगा कि हम आज कहाँ खड़े हैं तथा हमने और संघों ने किस प्रकार के परिवर्तन ला सकने में समर्थ हुए, बल्कि भविष्य की योजनाओं में क्या क्या मुद्दों को रख सकेंगे।

इस चुनौतीपूर्ण और श्रमसाध्य कार्य को दृष्टि में रखकर, दल और संघ की वर्तमान क्षमता को और अधिक मजबूत करना है। संघ के प्रशिक्षण विकेन्द्रीकरण की बैठकों और कार्यशालाओं का अंग होगा। क्षमता निर्माण के लिए बाहर के दौरों की योजना, दल और संघ की महिलाओं के लिये की जायेगी।

प्रबन्धक समिति सदस्य

क्र. सं.	नाम व पद	सदस्यता स्थिति
०१.	**सुश्री छाया रतन, आइ.ए.एस.** सरकारी सचिव, शिक्षा विभाग, आन्ध्र प्रदेश सरकार	चेयरपर्सन
०२.	**सुश्री शालिनी प्रसाद, आइ.ए. एस.** निदेशक, राष्ट्रीय योजना, महिला समता, शिक्षा विभाग	नॉमिनी , शिक्षा विभाग
०३.	**श्री टी. विजय कुमार, आइ.ए.एस.** आयुक्त व निदेशक, स्कूल शिक्षा, आन्ध्र प्रदेश सरकार	सदस्य
०४.	**श्री एम. श्रीनिवास राव, आइ.** आर.एस. संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, आन्ध्र प्रदेश सरकार	सदस्य
०५.	**श्री टी. जनार्दन नायडु , आइ.ए.एस.** आयुक्त , महिला विकास एवं बाल कल्याण विभाग, आन्ध्र प्रदेश सरकार	सदस्य
०६.	**श्री पी. के. झा, आइ.एफ.एस.** संयुक्त सचिव, पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग आन्ध्र प्रदेश सरकार	सदस्य
०७.	**श्री ए. सत्यनारायण** निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा आन्ध्र प्रदेश सरकार	सदस्य

क्र. सं.	नाम व पद	सदस्यता स्थिति
०८.	**डॉ. कल्याणी मेनन सेन,** फ्लैट सं. इ-१२, आइ.एफ.एस. अपार्टमेण्ट्स मयुर विहार, फेज-१, नयी दिल्ली - ११० ०९१.	सदस्य
०९.	**सुश्री के. ललिता** ३/१, ब्लाक - बी, हब्शीगुड़ा, सिकन्दराबाद- ५०० ०१७.	सदस्य
१०.	**डॉ. जशोधरा बाग्ची,** ४२८, जोधपुर पार्क, कलकत्ता - ६८.	चेयर परसन, एन.आर.जी.
११.	**श्री संजय नारायण, आइ.ए.एस.** वित्तीय उप-सलाहकार शिक्षा विभाग, नयी दिल्ली	सदस्य
१२.	**डॉ. पी.डी.के. राव** शोधना, चीपुरुपल्ली विजयनगरम (जिला)	सदस्य
१३.	**डॉ. शान्ता सिन्हा,** एम.वी. फाउण्डेशन, २८, रोड़ नं. १, पश्चिम मारेडपल्ली, सिकन्दराबाद - ५०० ०२६.	सदस्य

क्र. सं.	नाम व पद	सदस्यता स्थिति
१४.	**सुश्री जी.वी.एस. जानकम्मा** डी.पी.सी. , ए.पी.एम. एस.एस. डी.आइ.यू, -मेदक	सदस्य
१५.	**सुश्री वाय.जी. भवानी** डी.पी.सी., ए.पी.एम.एस.एस., डी.आइ.यू.,- महबूबनगर	सदस्य
१६.	**सुश्री ई. अनिता** विशेषज्ञ, ए.पी.एम.एस.एस. डी.आइ.यू.,- करीमनगर	सदस्य
१७.	**सुश्री ज्योत्स्ना** विशेषज्ञ, ए.पी.एम.एस.एस. डी.आइ.यू., - आदिलाबाद	सदस्य
१८.	**सुश्री पवनरेखा** महिला कार्यकर्ता, डी.आइ. यू- मेदक	सदस्य
१९.	**सुश्री तृतीयवर्णा,** महिला कार्यकर्ता, डी.आइ.यू., - करीमनगर	सदस्य
२०.	**सुश्री माधवीलता** विशेषज्ञ, डी.आइ.यू. -निजामाबाद	सदस्य
२१.	**सुश्री वाय. पद्मावती** प्रादेशिक कार्यक्रम विशेषज्ञ ए.पी.एम.एस.एस. - हैदराबाद	सदस्य सचिव

आन्ध्र प्रदेश महिला समता संघ
म.नं. ४-८-८२,
संजीवरेड्डी नगर, संगारेड्डी - ५०२ ००१.
डी.आइ.यू. - मेदक, फोन : ०८४५५-५६९१६

आन्ध्र प्रदेश महिला समता संघ
म.नं. ८-२-१५बी, टीचर्स कालोनी,
महबूबनगर-५०९ ००१.
फोन : ०८५४२-४१७६५

आन्ध्र प्रदेश महिला समता संघ
म.नं. ७-४-१८/६/१, गोडाउन रोड,
करीमनगर फोन : ०८७२२-४७०७१

आन्ध्र प्रदेश महिला समता संघ
म.नं. ५-११-८१/५९/७, संध्या थियेटर के पीछे,
काकतीय रेसिडेंशियल कालेज रोड,
प्रगति नगर कालोनी, निजामाबाद - ५०३ ००३
फोन : ०८४६२-३५३०८

आन्ध्र प्रदेश महिला समता संघ
म.नं. ४-२०३, एम.वी.आइ. ऑफिस के समीप,
एन.एच. रोड, आसिफाबाद (पोस्ट)
आदिलाबाद - ५०४ २९३. फोन : ०८७३३-७९८७६

आन्ध्र प्रदेश महिला समता संघ
प्लॉट नं. ३९, अरविन्दनगर कालोनी,
दोमलगुड़ा, हैदराबाद- ५०० ०२९.
फोन : ०४०-७६००२५८ फैक्स : ०४०-७६३००५७.
Email : samatha@hd2.vsnl.net.in

बालाजी नायडु एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टन्ट्स

६–१–८५/४, सैफाबाद,
हैद्राबाद–५०० ००४

दिनांक : २२–०४–१९९९

प्रति,
राज्य कार्यक्रम निदेशक,
आंध्र प्रदेश महिला समथा सोसायटी,
प्लोट नं. : ३९, अरविंद नगर कोलोनी,
दोमलगुडा, हैद्राबाद – ५०० ०२९.

माननीय महोदया,

विषय : ०१–०४–९८ से ३१–०३–९९ के वर्ष के प्रमाणित परीक्षित लेखा विवरण पत्रों का प्रस्तुतीकरण – पंजीकृत

संदर्भ : आप का पत्र क्रम एपीएमएसएस / ओडिट / ९८ /१०३९/ए, दिनांक १५–०६–९८

इस के साथ हम ०१–०४–९८ से ३१–०३–९९ के वर्ष के लिए आंध्र प्रदेश महिला समथा सोसायटी, हैद्राबाद के निम्न लिखित प्रमाणित परीक्षित लेखा विवरण पत्रों को संलग्न कर रहे हैं ।

१. तुलनपत्र
२. आय और व्यय खाता
३. लेखा के भाग रुप टिप्पणियां और परिशिष्ट
४. धनराशियों के उपयोग का प्रमाणपत्र

कृपया इस की स्वीकृति की पुष्टि करें ।

आभार सह,

आप का विश्वासु,

बालाजी नायडु एण्ड कं. की तरफ से,
चार्टड एकाउन्टन्ट्स

जी. बालाजी नायडु
भागीदार

संलग्नित : हर एक विवरणपत्र की दो नकल

बालाजी नायडु एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टन्ट्स

६–१–८५/४, सैफाबाद,
हैद्राबाद–५०० ००४

दिनांक

लेखा – परीक्षकों की रिपोर्ट

०१. हमने आंध्र प्रदेश महिल समथा सोसायटी, हैद्राबाद के ३१वी मार्च, १९९९ की स्थिति के अनुसार का तुलनपत्र और :
उस के साथ संलग्नित उसी तारीख के वर्षान्त के आय और व्यय खाते का परीक्षण किया है, और रिपोर्ट देते हैं कि :

०२. (क) हमने वह तमाम जानकारियाँ तथा स्पष्टिकरण प्राप्त किये हैं जो हमारी जानकारी और मान्यता के अनुसार लेखा–परीक्षण के हमारे हेतु के लिए आवश्यक थे ।

(ख) जहाँ तक बहियों के परीक्षण से हमें लगता है, सोसायटी के द्वारा उचित खाता बहियाँ रखी गई हैं ।

(ग) इस रिपोर्ट में निर्देश किये गये तुलन पत्र तथा आय और व्यय खाता खाता बहियों के अनुसार है ।

(घ) हमारी राय और हमारी जानकारी में तथा दिए गए स्पष्टिकरणों के आधार पर टिप्पणियों के अनुसंधान में प्रस्तुत खाते इन दो मामलों में वास्तविक और सही चित्र दर्शाता है :
१. ३१वी मार्च, १९९९ की स्थिति के अनुसार सोसायटी का स्थिति दर्शन और तुलनपत्र तथा
२. उस दिनांक के वर्षान्त का सोसायटी का आय और व्यय खाता और आय से अधिक व्यय ।

बालाजीनायडु एण्ड कं. की तरफ से,
चार्टड एकाउन्टन्ट्स

स्थल : हैद्राबाद
दिनांक : २२–०४–१९९९

जी. बालाजी नायडु
भागीदार

आंध्र प्रदेश महिला समथा सोसायटी
हैद्राबाद

३१.०३.१९९९ की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

दायित्व	राशि रु.	पैसे	आस्तियाँ	राशि रु.	पैसे.
पूंजीगत निधियां	६६५११२७.०५		स्थिर आस्तियां – परिशिष्ट–१	२५३६३०३.००	
परिवर्धन : वर्ष दरमियान	७३९९७००.००		स्थिर जमा–राशियां – परिशिष्ट–२	२१६१२६०.००	
भारत सरकार की तरफ से प्राप्त हुई निधियां			जमा–राशियां एवं अग्रिम – परिशिष्ट–३	१४२१५३.५५	
	–		नकद और बैंक अतिशेष – परिशिष्ट–४	४३३२१३.३०	
	१४०५०८२७.०५				
कटौति : वर्ष में आय से अधिक हुआ व्यय	८८१००१२.१५				
	५२४०८१४.९०				
संदेय इ.पी.एफ.	२७११४.९५				
संदेय लेखापरीक्षण फीस	५०००.००				
	५२७२९२९.८५			५२७२९२९.८५	

खातों और इस के साथ शामिल किये गये परिशिष्टों के उपर की गईं टिप्पणियां लेखा के भागरुप हैं ।

बालाजीनायडु एण्ड कं. की तरफ से
चार्टर्ड एकाउन्टन्ट्स

जी. बालाजी नायडु
भागीदार

आंध्र प्रदेश महिला समथा सोसायटी की तरफ से

वाय. पद्मावती
राज्य कार्यक्रम निदेशक

स्थल : हैद्राबाद
दिनांक : २२–०४–१९९९

आंध्र प्रदेश महिला समथा सोसायटी
हैद्राबाद
०१–०४–९८ से ३१–०३–९९ के वर्ष का आय और व्यय खाता

व्यय	राशि रु. पैसे	राशि रु. पैसे	आय	राशि रु. पैसे
प्रबंध खर्च :			स्थिर जमा–राशियां और	
राज्य कार्यालय			बचत बैंक खातों के उपर ब्याज	२५९६५४.००
– परिशिष्ट : ५	१३३३५८४.१५			
डीआईयु – मेडक				
– परिशिष्ट : ६	६७७५५२.१०			
डीआइयु – महबुबनगर				
– परिशिष्ट : ७	५६१६८१.५०			
डीआइयु – करीमनगर			वर्ष में आय से अधिक हुआ	८८१००१२.१५
– परिशिष्ट : ८	३४६६२२.०५		व्यय	
डीआइयु – निझामाबाद				
– परिशिष्ट : ९	२६४५०७.५५			
डीआइयु – अदिलाबाद				
– परिशिष्ट : १०	२७२१९२.६५			
		– ३४५६१४०.००		
कार्यकलाप खर्च :				
राज्य कार्यालय				
– परिशिष्ट : ११	२१७०७६४.२५			
डीआइयु – मेडक				
– परिशिष्ट : १२	१०१८८१९.३०			
डीआइयु – महबुबनगर				
– परिशिष्ट : १३	१०११३८२.९५			
डीआइयु – करीमनगर				
– परिशिष्ट : १४	५४७६६३.३०			
डीआइयु – निझामाबाद				
– परिशिष्ट : १५	२२४६९१.६०			
डीआइयु – अदिलाबाद				
– परिशिष्ट : १६	१९६३३८.७५			
		– ५१६९६६०.१५		
मूल्य–ह्रास				
– परिशिष्ट : १		४४३८६६.००		
जोड :		९०६९६६६.१५		९०६९६६६.१५

खातों और इस के साथ शामिल किये गये परिशिष्टों के उपर की गईं टिप्पणियां लेखा के भागरुप हैं ।

बालाजीनायडु एण्ड कं. की तरफ से
चार्टर्ड एकाउन्टन्ट्स

जी. बालाजी नायडु
भागीदार
स्थल : हैद्राबाद
दिनांक : २२–०४–१९९९

आंध्र प्रदेश महिला समथा सोसायटी की तरफ से

वाय. पद्मावती
राज्य कार्यक्रम निदेशक

आंध्र प्रदेश महिला समथा सोसायटी
हैद्राबाद

३१–०३–१९९९ की स्थिति के अनुसार स्थिर आस्तियां

परिशिष्ट : १

क्रम	विवरण	०१.०४.९८ के दिन अथशेष	३०.०९.९८ के पहले परिवर्धन	०१.१०.९८ के पश्चात परिवर्धन	जोड	मूल्य ह्रास का दर	मूल्य ह्रास	३१.०३.९९ की स्थिति के अनुसार अतिशेष
०१.	यान							
	– राज्य कार्यालय	८२८६२.००	०.००	०.००	८२८६२.००	२०%	१६५७२.००	६६२९०.००
	– मेडक	१०४९५७.००	०.००	०.००	१०४९५७.००	२०%	२०९९१.००	८३९६६.००
	– महबूबनगर	१०४९५७.००	०.००	०.००	१०४९५७.००	२०%	२०९९१.००	८३९६६.००
	– करीमनगर	२६५०९४.००	०.००	०.००	२६५०९४.००	२०%	५३०१९.००	२१२०७५.००
	– निझामाबाद	३४४५४२.००	०.००	०.००	३४४५४२.००	२०%	६८९०८.००	२७५६३४.००
	– अदिलाबाद	०.००	३८२८२४.००	०.००	३८२८२४.००	२०%	७६५६४.००	३०६२६०.००
०२.	कार्यालय साधन							
	– राज्य कार्यालय	४२९८७.००	०.००	२९८५०.००	७२८३७.००	१०%	५७९१.००	६७०४६.००
	– मेडक	१६०७४.००	१०५००.००	०.००	२६५७४.००	१०%	२६५७.००	२३९१७.००
	– महबूबनगर	१६०७४.००	०.००	०.००	१६०७४.००	१०%	१६०७.००	१४४६७.००
	– करीमनगर	१६४६४.००	०.००	०.००	१६४६४.००	१०%	१६४६.००	१४८१८.००
	– निझामाबाद	२२०७५.००	०.००	०.००	२२०७५.००	१०%	२२०७.००	१९८६८.००
	– अदिलाबाद	२२०७५.००	०.००	०.००	२२०७५.००	१०%	२२०७.००	१९८६८.००
०३.	फर्निचर एवं जडित वस्तुएं							
	– राज्य कार्यालय	१५१६३३.००	०.००	१२६७३.८५	१६४३०६.८५	१०%	१५७९७.८५	१४८५०९.००
	– संसाधन केन्द्र	७६५१.००	०.००	०.००	७६५१.००	१०%	७६५.००	६८८६.००
	– मेडक	४६६०३.००	०.००	१२६७३.८५	५९२७६.८५	१०%	५२९४.८५	५३९८२.००
	– महबूबनगर	७४६६७.००	०.००	१२६७३.८५	८७३४०.८५	१०%	८७००.८५	७९२४०.००
	– करीमनगर	६३२४२.००	०.००	१२६७३.८५	७५९१५.८५	१०%	६९५८.८५	६८९५७.००
	– निझामाबाद	७६९५.००	०.००	०.००	७६९५.००	१०%	७६९.००	६९२६.००
०४.	दृश्य–श्राव्य साधन							
	– राज्य कार्यालय	३०२२५.००	०.००	०.००	३०२२५.००	१०%	३०२३.००	२७२०२.००
	– मेडक	२२१२५.००	०.००	०.००	२२१२५.००	१०%	२२१३.००	१९९१२.००
	– महबूबनगर	२२८७५.००	०.००	०.००	२२८७५.००	१०%	२२८८.००	२०५८७.००
	– करीमनगर	०.००	२६५००.००	०.००	२६५००.००	१०%	२६५०.००	२३८५०.००
	– निझामाबाद	०.००	२६५००.००	०.००	२६५००.००	१०%	२६५०.००	२३८५०.००
	– अदिलाबाद	०.००	२६५००.००	०.००	२६५००.००	१०%	२६५०.००	२३८५०.००
०५.	कम्प्युटर							
	– राज्य कार्यालय	८०६४८.००	०.००	१२७२००.००	२०७८४८.००	२०%	२८८५०.००	१७८९९८.००
	– संसाधन केन्द्र	०.००	०.००	१३१८००.००	१३१८००.००	१०%	१३१८०.००	११८६२०.००
	– मेडक	०.००	०.००	८४८००.००	८४८००.००	१०%	८४८०.००	७६३२०.००
	– महबूबनगर	०.००	०.००	८४८००.००	८४८००.००	१०%	८४८०.००	७६३२०.००
	– करीमनगर	०.००	०.००	८४८००.००	८४८००.००	१०%	८४८०.००	७६३२०.००
०६.	झेरोक्स मशीन							
	– राज्य कार्यालय	०.००	०.००	९६७५८.६०	९६७५८.६०	१०%	९६७६.६०	८७०८२.००
	– मेडक	३७१६३.००	०.००	०.००	३७१६३.००	२०%	७४३३.००	२९७३०.००
	– महबूबनगर	३७१६३.००	०.००	०.००	३७१६३.००	२०%	७४३३.००	२९७३०.००
	– करीमनगर	०.००	०.००	६९१३०.५०	६९१३०.५०	१०%	६९१३.५०	६२२१७.००
	– निझामाबाद	०.००	०.००	६९१३०.५०	६९१३०.५०	१०%	६९१३.५०	६२२१७.००
	– अदिलाबाद	५८५२९.००	०.००	०.००	५८५२९.००	२०%	११७०६.००	४६८२३.००
	जोड :	१६७३८०.००	४७२८२४.००	८२८९६५.००	२९८०१६९.००		४४३८६६.००	२५३६३०३.००

वाय. पद्मावती
राज्य कार्यक्रम निदेशक

आंध्र प्रदेश महिला समथा सोसायटी
हैद्राबाद

३१–०३–१९९९ की स्थिति के अनुसार स्थिर जमाराशियां

परिशिष्ट : २

क्रम	बैंक और शाखा का नाम	एफ.डी.आर. क्रम	अवधि से	तक	ब्याज का दर	राशि रु. पै.	प्रोद्भूत ब्याज
०१.	राज्य कार्यालय	०४२२६३	११.०३.९९	२६.०४.९९	७.५%	४००००.००	१७२६.००
	– एपीओसीबी	०४२२६५	११.०३.९९	११.०६.९९	९%	५००००.००	२५८९.००
	अमीरपेट शाखा, हैद्राबाद	०४२२६६	११.०३.९९	११.०६.९९	९%	५००००.००	२५८९.००
				जोड : अ		१४००००.००	६९०४.००
०२.	डीआइयु – मेडक स्टेट बैंक ओफ इन्डिया सांगरेड्डी	टीडी/ए/४२/ ००१६७६	३०.०३.९९	१४.०४.९९	५%	२०१५१२.००	
				जोड : ब		२०१५१२.००	
०३.	डीआइयु–महबुबनगर	३६००३०	२०.०३.९९	०७.०४.९९	६%	५००००.००	१००.००
	आंध्र बैंक, महबुबनगर	३६००३१	२०.०३.९९	०७.०४.९९	६%	५००००.००	१००.००
		३६००३२	२०.०३.९९	०७.०४.९९	६%	५००००.००	१००.००
				जोड : क		१५००००.००	३००.००
०४.	डीआइयु–करीमगर	५०२२७६	०१.०३.९९	१६.०४.९९	७.५%	५००००.००	३१८.००
	आंध्र बैंक, करीमनगर	५०२२७७	०१.०३.९९	१६.०४.९९	७.५%	५००००.००	३१८.००
		५०२२७८	०१.०३.९९	१६.०४.९९	७.५%	५००००.००	३१८.००
		५०२२७९	०१.०३.९९	१६.०४.९९	७.५%	५००००.००	३१८.००
		५०२२८०	०१.०३.९९	३०.०५.९९	७.५%	५००००.००	३१८.००
		५०२२८१	०१.०३.९९	३०.०५.९९	७.५%	५००००.००	३१८.००
		५०२२८२	०१.०३.९९	३०.०५.९९	७.५%	५००००.००	३१८.००
		५०२२८३	०१.०३.९९	३०.०५.९९	७.५%	५००००.००	३१८.००
				जोड : ड		४००००.००	२५४४.००
				जोड अ+ब+क+ड =		२१५१५१२.००	९७४८.००

वाय. पद्मावती
राज्य कार्यक्रम निदेशक

आंध्र प्रदेश महिला समथा सोसायटी
हैद्राबाद

३१–०३–१९९९ की स्थिति के अनुसार जमाराशियां और अग्रिम

परिशिष्ट : ३

क्रम	विवरण	राशि रु.	पै.
०१.	किराये की जमा–राशि		
	– राज्य कार्यालय	६००००	.००
	– मेडक	१००००	.००
	– महबुबनगर	१३१००	.००
	– करीमनगर	६६००	.००
	– निझामाबाद	६०००	.००
	– अदिलाबाद	७५००	.००
	जोड : अ	१०३२००	.००
०२.	अग्रिम		
	– राज्य कार्यालय	१८१५३	.५५
	– मेडक	३०००	.००
	– महबुबनगर	५०००	.००
	– करीमनगर	२८००	.००
	– निझामाबाद	५०००	.००
	– अदिलाबाद	५०००	.००
	जोड : ब	३८९५३	.५५
	जोड : अ+ब =	१४२१५३	.५५

वाय. पद्मावती
राज्य कार्यक्रम निदेशक

आंध्र प्रदेश महिला समथा सोसायटी
हैद्राबाद

३१–०३–१९९९ की स्थिति के अनुसार नकद और बैंक अतिशेष

परिशिष्ट : ४

क्रम	विवरण	राशि रु.	पै.
०१.	**हाथ पर नकद**		
	– राज्य कार्यालय	४५७.१५	
	– मेडक	१९.२०	
	– महबुबनगर	७.९०	
	– करीमनगर	२३३८.६५	
		–	
	जोड : अ	२८२२.९०	
		–	
०२.	**बैंक में नकद**		
	– बचत खाता क्रमांक १५६१४ आंध्र बैंक	८३२६५.५५	
	– बचत खाता क्रमांक १५६२३ अशोक नगर शाखा	२३५६२१.३०	
	– बचत खाता क्रमांक १५८०६ आंध्र बैंक, महबुबनगर	८५०४५.८०	
	– बचत खाता क्रमांक ०४० एसबीआइ, सांगरेड्डी	२०९९४.००	
	– बचत खाता क्रमांक ३३०२९ आंध्र बैंक, करीमनगर	५४६३.७५	
	जोड : ब	४३०३९०.४०	
	जोड : अ+ब	४३३२१३.३०	

वाय. पद्मावती
राज्य कार्यक्रम निदेशक

आंध्र प्रदेश महिला समथा सोसायटी
हैद्राबाद

३१–०३–९९ के वर्षान्त का प्रबंध खर्च

राज्य कार्यालय परिशिष्ट : ५

क्रम	विवरण	राशि रु.	पै.
०१.	वेतन	९७९७७.००	
०२.	मानदेय	५२६२९३.००	
०३.	किराया	९६७५०.००	
०४.	कार्यालय खर्च	४९१२३.२०	
०५.	आकस्मिकताएं	२११३७.३०	
०६.	मुद्रण और लेखन सामग्री	१४६१९.२०	
०७.	दूरभाष और नगरान्तर दूरभाष	१०३१७१.४०	
०८.	डाक महसूल और तार	९४०४.४५	
०९.	पेट्रोल / डीजल	२३४६०.९०	
१०.	यान अनुरक्षण	६५७०३.००	
११.	स्थानिक यानखर्च	५४६३०.७०	
१२.	यात्रा–व्यय	५९४९४.००	
१३.	विद्युत प्रभार	६५८०.००	
१४.	बैंक प्रभार	२७४४.००	
१५.	बीमा	२७२५८.००	
१६.	लेखा–परीक्षण फीस	२००००.००	
१७.	अंशदायी भविष्य निधि	१०२३११.००	
१८.	पीएफ–इडीएलआईएस	१९९१५.००	
१९.	पीएफ–प्रशासन प्रभार	३३०१२.००	
	जोड	१३३३५८४.१५	

वाय. पद्मावती
राज्य कार्यक्रम निदेशक

आंध्र प्रदेश महिला समथा सोसायटी
हैद्राबाद

३१–०३–९९ के वर्षान्त का प्रबंध खर्च

डीआइयु – मेडक परिशिष्ट : ६

क्रम	विवरण	राशि रु.	पै.
०१.	वेतन	९४०१७.००	
०२.	अंशदायी भविष्यनिधि	६७३७९.००	
०३.	मानदेय	२९१७५८.००	
०४.	किराया	२०४२०.००	
०५.	कार्यालय खर्च	१४४७८.५०	
०६.	आकस्मिकताएं	४४६६.७५	
०७.	मुद्रण और लेखन सामग्री	१५७७९.८५	
०८.	दूरभाष और नगरान्तर दूरभाष	६०३१.२५	
०९.	डाक महसूल और तार	९९.२५	
१०.	पेट्रोल / डीजल	७३६४.३०	
११.	यान अनुरक्षण	२१०३५.३५	
१२.	स्थानिक यानखर्च	४५१०.२५	
१३.	यात्रा व्यय	९९०७.००	
१४.	विद्युत प्रभार / पानी	१९४१.००	
१५.	बैंक प्रभार	१७८५.००	
१६.	बीमा	७०९.००	
	जोड	५६१६८१.५०	

बाय. पद्मावती
राज्य कार्यक्रम निदेशक

आंध्र प्रदेश महिला समथा सोसायटी
हैद्राबाद

३१–०३–९९ के वर्षान्त का प्रबंध खर्च

डीआइयु – महबुबनगर परिशिष्ट : ७

क्रम	विवरण	राशि रु.	पै.
०१.	वेतन	९६७४१.००	
०२.	अंशदायी भविष्यनिधि	७६१७५.००	
०३.	मानदेय	३३९३८४.००	
०४.	किराया	३५७५०.००	
०५.	कार्यालय खर्च	८६१०.००	
०६.	आकस्मिकताएं	७९८८.७५	
०७.	मुद्रण और लेखन सामग्री	८५४७.५०	
०८.	दूरभाष और नगरान्तर दूरभाष	१५८६३.५०	
०९.	डाक महसूल और तार	३४१.५०	
१०.	पेट्रोल / डीजल	११८९२.१०	
११.	यान अनुरक्षण	३११४८.१०	
१२.	स्थानिक यानखर्च	८५७४.५५	
१३.	यात्रा व्यय	२८९४२.००	
१४.	विद्युत प्रभार / जल प्रभार	५०१६.१०	
१५.	बैंक प्रभार	२५७८.००	
	जोड	६७७५५२.१०	

वाय. पद्मावती
राज्य कार्यक्रम निदेशक

आंध्र प्रदेश महिला समथा सोसायटी
हैद्राबाद

३१–०३–९९ के वर्षान्त का प्रबंध खर्च

डीआइयु – करीमनगर परिशिष्ट : ८

क्रम	विवरण	राशि रु.	पै.
०१.	मानदेय	१६२३१७.००	
०२.	अंशदायी भविष्यनिधि	२७१७३.००	
०३.	किराया	२८३८०.००	
०४.	कार्यालय खर्च	१५८७१.६५	
०५.	आकस्मिकताएं	५१२४.००	
०६.	मुद्रण और लेखन सामग्री	५३९२.७०	
०७.	दूरभाष और नगरान्तर दूरभाष	९५४४.४०	
०८.	डाक महसूल और तार	२००.००	
०९.	पेट्रोल / डीजल	१३२२६.६५	
१०.	यान अनुरक्षण	३८९३१.३०	
११.	स्थानिक यानखर्च	१३१४.००	
१२.	यात्रा व्यय	३५७३०.३५	
१३.	विद्युत प्रभार / जल प्रभार	३२६७.००	
१४.	बैंक प्रभार	१५०.००	
	जोड	३४६६२२.०५	

वाय. पद्मावती
राज्य कार्यक्रम निदेशक

आंध्र प्रदेश महिला समथा सोसायटी
हैद्राबाद

३१–०३–९९ के वर्षान्त का प्रबंध खर्च

डीआइयु – निझामाबाद परिशिष्ट : ९

क्रम	विवरण	राशि रु.	पै.
०१.	मानदेय	१२६९२३.००	
०२.	अंशदायी भविष्यनिधि	२२३१५.००	
०३.	किराया	२४६००.००	
०४.	कार्यालय खर्च	१६६०८.६०	
०५.	आकस्मिकताएं	५५१०.६५	
०६.	मुद्रण और लेखन सामग्री	१२८६.७५	
०७.	दूरभाष और नगरान्तर दूरभाष	६०५५.२५	
०८.	डाक महसूल और तार	४५.००	
०९.	पेट्रोल / डीजल	१०९७४.०५	
१०.	यान अनुरक्षण	२०९८२.८५	
११.	स्थानिक यानखर्च	७२३.००	
१२.	यात्रा व्यय	२४०८६.४०	
१३.	विद्युत प्रभार / जल प्रभार	४३४७.००	
१४.	बैंक प्रभार	५०.००	
	जोड	२६४५०७.५५	

वाय. पद्मावती
राज्य कार्यक्रम निदेशक

आंध्र प्रदेश महिला समथा सोसायटी
हैद्राबाद

३१–०३–९९ के वर्षान्त का प्रबंध खर्च

डीआइयु – अदिलाबाद परिशिष्ट : १०

क्रम	विवरण	राशि रु.	पै.
०१.	मानदेय	१३०७००	.००
०२.	अंशदायी भविष्यनिधि	१६१०	४.००
०३.	किराया	२७५४	५.००
०४.	कार्यालय खर्च	२९३५	५.७५
०५.	आकस्मिकताएं	४९७	६.२०
०६.	मुद्रण और लेखन सामग्री	७४	९.७५
०७.	दूरभाष और नगरान्तर दूरभाष	३८८	५.७५
०८.	पेट्रोल / डीजल	८१३	९.७५
०९.	यान अनुरक्षण	२२७	९८.०५
१०.	स्थानिक यानखर्च	६०	९.००
११.	यात्रा व्यय	२५	९५८.४०
१२.	विद्युत प्रभार	११	६६.००
१३.	बैंक प्रभार	२०	५.००
	जोड	२७२१	९२.६५

वाय. पद्मावती
राज्य कार्यक्रम निदेशक

आंध्र प्रदेश महिला समथा सोसायटी
हैद्राबाद

३१–०३–९९ के वर्षान्त का कार्यकलाप खर्च

राज्य कार्यालय परिशिष्ट : ११

क्रम	विवरण	राशि रु.	पै.
०१.	पुस्तकें और सामयिक	१३३६२.३५	
०२.	दस्तावेजीकरण	५४३७५२.९०	
०३.	फीस और मानदेय	७७००.००	
०४.	विचारगोष्ठि और कार्यशिविर	१३०९१०.५०	
०५.	प्रशिक्षण खर्च	३७७९९८.८०	
०६.	बैठक खर्च	३६७६२१.५५	
०७.	संसाधन केन्द्र	४४१९१८.१५	
०८.	सहायक अनुदान	२८७५००.००	
	जोड	२१७०७६४.२५	

वाय. पद्मावती
राज्य कार्यक्रम निदेशक

आंध्र प्रदेश महिला समथा सोसायटी
हैद्राबाद

३१–०३–९९ के वर्षान्त का कार्यकलाप खर्च

डीआइयु : मेडक परिशिष्ट : १२

क्रम	विवरण	राशि रु.	पै.
०१.	सहयोगिनियों का मानदेय	१९५६९१.००	
०२.	सीपीएफ – सहयोगिनियां	३१०७७.००	
०३.	सहयोगिनियों का एफटीए	५३५१८.००	
०४.	सहयोगिनियों की आकस्मिकताएं	९८१४.००	
०५.	पुस्तकें और सामयिक	१९७९.५०	
०६.	दस्तावेजीकरण	३२०४.३०	
०७.	विचारगोष्ठि और कार्यशिविर	१११२८.६०	
०८.	प्रशिक्षण खर्च	५०७८२.९०	
०९.	बैठक खर्च	८३३७८.८०	
१०.	संघम धनराशि	१९६८००.००	
११.	संघम खर्च	२६५४४.००	
१२.	बालमित्र केन्द्र (एनएफइ)	८१४६६.३०	
१३.	एमएसके खर्च	१९९८१६.१५	
१४.	मेले का खर्च	७३६१८.७५	
	जोड	१०१८८१९.३०	

वाय. पद्मावती
राज्य कार्यक्रम निदेशक

आंध्र प्रदेश महिला समथा सोसायटी
हैद्राबाद
३१–०३–९९ के वर्षान्त का कार्यकलाप खर्च

डीआइयु : महबुबनगर परिशिष्ट : १३

क्रम	विवरण	राशि रु.	पै.
०१.	सहयोगिनियों का मानदेय	२३२४८१.००	
०२.	सीपीएफ – सहयोगिनियां	४७८६७.००	
०३.	सहयोगिनियों का एफटीए	६४९४३.५०	
०४.	सहयोगिनियों की आकस्मिकताएं	१०८५७.००	
०५.	पुस्तकें और सामयिक	२५४८.३०	
०६.	दस्तावेजीकरण	२७१२.५०	
०७.	विचारगोष्ठि और कार्यशिविर	१३३५९.५०	
०८.	प्रशिक्षण खर्च	९८८७१.५०	
०९.	बैठक खर्च	१०११९४.४५	
१०.	संघम धनराशि	११०४००.००	
११.	संघम खर्च	८९०१.४०	
१२.	बालमित्र केन्द्र (एनएफइ)	८७१५६.५०	
१३.	समाचार पत्र	२४०३.००	
१४.	एमएसके खर्च	२२४३९९.१०	
१४.	मेले का खर्च	३३६८.२०	
	जोड	१०११३८२.९५	

वाय. पद्मावती
राज्य कार्यक्रम निदेशक

आंध्र प्रदेश महिला समथा सोसायटी
हैद्राबाद
३१–०३–९९ के वर्षान्त का कार्यकलाप खर्च

डीआइयु : करीमनगर परिशिष्ट : १४

क्रम	विवरण	राशि रु.	पै.
०१.	सहयोगिनियों का मानदेय	२२२३०६	.२०
०२.	सीपीएफ – सहयोगिनियां	२९८७६	.००
०३.	सहयोगिनियों का एफटीए	६४९५३	.८०
०४.	सहयोगिनियों की आकस्मिकताएं	११४४७	.००
०५.	पुस्तकें और सामयिक	२१०९	.००
०६.	दस्तावेजीकरण	२६१०	.००
०७.	विचारगोष्ठि और कार्यशिविर	१५१४६	.१०
०८.	प्रशिक्षण खर्च	३५०२३	.४५
०९.	बैठक खर्च	५५०९०	.७०
१०.	बालमित्र केन्द्र (एनएफइ)	५२६०	.५०
११.	एमएसके खर्च	३४६२२	.५५
१२.	मेले का खर्च	६९२१८	.००
	जोड	५४७६६३	.३०

वाय. पद्मावती
राज्य कार्यक्रम निदेशक

आंध्र प्रदेश महिला समथा सोसायटी
हैद्राबाद
३१–०३–९९ के वर्षान्त का कार्यकलाप खर्च

डीआइयु : निझामाबाद परिशिष्ट : १५

क्रम	विवरण	राशि रु.	पै.
०१.	सहयोगिनियों का मानदेय	१०१३८४.७०	
०२.	सीपीएफ – सहयोगिनियां	१००९८.००	
०३.	सहयोगिनियों का एफटीए	२९५९३.६०	
०४.	सहयोगिनियों की आकस्मिकताएं	९१४६.००	
०५.	पुस्तकें और सामयिक	१९७९.२०	
०६.	विचारगोष्ठि और कार्यशिविर	६६३०.६५	
०७.	प्रशिक्षण खर्च	३६२६७.४५	
०८.	बैठक खर्च	२९५९२.००	
	जोड	२२४६९१.६०	

वाय. पद्मावती
राज्य कार्यक्रम निदेशक

आंध्र प्रदेश महिला समथा सोसायटी
हैद्राबाद
३१–०३–९९ के वर्षान्त का कार्यकलाप खर्च

डीआइयु : अदिलाबाद परिशिष्ट : १६

क्रम	विवरण	राशि रु.	पै.
०१.	सहयोगिनियों का मानदेय	९२२७३.९०	
०२.	सीपीएफ – सहयोगिनियां	९९६२.००	
०३.	सहयोगिनियों का एफटीए	२६९३२.१०	
०४.	सहयोगिनियों की आकस्मिकताएं	७८९३.००	
०५.	पुस्तकें और सामयिक	९००.००	
०६.	दस्तावेजीकरण	४४०.५०	
०७.	विचारगोष्ठि और कार्यशिविर	१९५४२.९५	
०८.	प्रशिक्षण खर्च	८७११.६०	
०९.	मेले का खर्च	१३६९.७०	
१०.	बैठक खर्च	२८३१३.००	
	जोड	१९६३३८.७५	

वाय. पद्मावती
राज्य कार्यक्रम निदेशक

लेखाओं के उपर टिप्पणियां

१. यह लेखाएं ०१–०४–१९९८ से ३१–०३–१९९९ तक के वर्ष के लिए तैयार कीये गये हैं ।

२. सोसायटी उसके लेखा व्यापारी आधार पर रखती है ।

३. अनुसूचित बैंको में रखी गइ स्थिर जमा–राशियों के उपर का रु. ९७४८.०० का प्रोद्भूत ब्याज स्थिर जमा–राशियों की राशि में समाविष्ठ किया गया था ।

४. स्थिर आस्तियों पर मूल्यर्ह्रास का अवलेखन मूल्य पध्धति के अनुसार आय कर धारा, १९६१ में निश्चित किये गये दरों पर लेखाओं में प्रावधान किया गया है ।

बालाजीनायडु एण्ड कं. की तरफ से
चार्टर्ड एकाउन्टन्ट्स

आंध्र प्रदेश महिला समथा सोसायटी की तरफ से

जी. बालाजी नायडु

भागीदार

वाय. पद्मावती

राज्य कार्यक्रम निदेशक

स्थल : हैद्राबाद
दिनांक : २२–०४–१९९९

आंध्र प्रदेश महिला समथा सोसायटी
हैद्राबाद
०१–०४–९८ से ३१–०३–९९ के वर्ष का धन राशियों के उपयोग का प्रमाणपत्र

	विवरण	राशि रु.	पै.	राशि रु.	पै.
क.	०१.०४.९८ की स्थिति के अनुसार अक्षय अतिशेष			४३८७३८७.९५	
ख.	भारत सरकार से प्राप्त धनराशियां			७३९९७००.००	
ग.	जोड : क + ख			११७८७०८७.९५	
घ.	उठाये गये खर्च				
	१) प्रबंध खर्च	३४५६१४०.००			
	२) कार्यालय खर्च	५१६९६६०.१५			
	३) क्रय की गइ अस्तियां	१३०१७८९.००			
	४) जमा राशियां और अग्रिम	१४२१५३.५५			
		—		१००६९७४२.७०	
				—	
च.	अक्षय राशि : ग – घ			१७१७३४५.२५	
छ.	प्राप्त हुआ ब्याज			२८२७६८.००	
ज.	वसूल किया गया अग्रिम			५५७४९७.१०	
झ.	कर्मचारियों से इपीएफ – संदेय			२७११४.९५	
	३१–०३–१९९९ की स्थिति के अनुसार अतिशेष			२५८४७२५.३०	
	अक्षय राशि के विवरण का प्रतिनिधित्व :				
	हाथ पर नकद			२८२२.९०	
	बैंक में नकद			४३०३९०.४०	
	स्थिर जमा–राशियां			२१५१५१२.००	
	३१–०३–१९९९ की स्थिति के अनुसार अतिशेष			२५८४७२५.३०	

बालाजीनायडु एण्ड कं. की तरफ से
चार्टर्ड एकाउन्टन्ट्स

आंध्र प्रदेश महिला समथा सोसायटी की तरफ से

जी. बालाजी नायडु
भागीदार
स्थल : हैद्राबाद
दिनांक : २२–०४–१९९९

वाय. पद्मावती
राज्य कार्यक्रम निदेशक

आंध्र प्रदेश महिला समथा सोसायटी

हैद्राबाद

०१–०४–९८ से ३१–०३–९९ के वर्ष दरमियान किये गये खर्च का विवरण

विवरण	राज्य कार्यालय	डीआइयु मेडक	डीआइयु महबूबनगर	डीआइयु करीमनगर	डीआइयु निज़ामाबाद	डीआइयु अदिलाबाद	जोड
	रु. पै.	रु. पै.	रु. पै.	रु. पै.	रु. पै.	रु. पै.	रु. पै.
क. प्रबंध खर्च :							
वेतन खर्च	९७९७.००	९४०१७.००	९६७४१.००	०.००	०.००	०.००	२८८७३५.००
अंशदायी भविष्य निधि	१०२३११.००	६७३७९.००	७६१७५.००	२७१७३.००	२२३१५.००	१६१०४.००	३११४५७.००
मानदेय	५२६२९३.००	२९१७५८.००	३३९३८४.००	१६२३१७.००	१२६९२३.००	१३०७००.००	१५७७३७५.००
किराया	९६७५०.००	२०४२०.००	३५७५०.००	२८३८०.००	२४६००.००	२७५४५.००	२३३४४५.००
कार्यालय खर्च	४९१२३.२०	१४४७८.५०	८६१०.००	१५८७१.६५	१६६०८.६०	२९३५५.७५	१३४०४७.७०
आकस्मिकताएं	२१९३७.३०	४४६६.७५	७९८८.७५	५१२४.००	५५१०.६५	४९७६.२०	४९२०३.६५
मुदण और लेखन सामग्री	१४६१९.२०	१५७७९.८५	८५४७.५०	५३९२.७०	१२८६.७५	७४९.७५	४६३७५.७५
दूरभाष प्रभार	१०३१७१.४०	६०३१.२५	१५८६३.५०	९५४४.४०	६०५५.२५	३८८५.७५	१४४५५१.५५
डाक महसूल और तार	९४०४.४५	९९.२५	३४१.५०	२००.००	४५.००	८१३९.७५	१८२२९.९५
पेट्रोल / डिजल	२३४६०.९०	७३६४.३०	११८९२.१०	१३२२६.६५	१०९७४.०५	२२७९८.०५	८९७१६.०५
यान अनुरक्षण	६५७०३.००	२१०३५.३५	३१९४८.१०	३८९३१.३०	२०९८२.८५	६०९.००	१७८४०९.६०
स्थानिक यानखर्च	५४६३०.७०	४५१०.२५	८५७४.५५	१३१४.००	७२३.००	२५९५८.४०	९५७१०.९०
यात्रा व्यय	५९४९४.००	९९०७.००	२८९४२.००	३५७३०.३५	२४०८६.४०	११६६.००	१५९३२५.७५
विद्युत प्रभार	६५८०.००	१९४१.००	५०१६.१०	३२६७.००	४३४७.००	२०५.००	२१३५६.१०
बैंक प्रभार	२७४४.००	१७८५.००	२५७८.००	१५०.००	५०.००	०.००	७३०७.००
बीमा	२७२५८.००	७०९.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२७९६७.००
लेखा परीक्षण फीस	२००००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२००००.००
पीएफ – इडीएलआइएस	१९९१५.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	१९९१५.००
पीएफ – प्रशासन प्रभार	३३०१२.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	३३०१२.००
जोड	१३३३५८४.१५	५६१६८१.५०	६७७५५२.१०	३४६६२२.०५	२६४५०७.५५	२७२१९२.६५	३४५६१४०.००

वाय. पद्मावती
राज्य कार्यक्रम निदेशक

आंध्र प्रदेश महिला समथा सोसायटी

हैद्राबाद

०१–०४–९८ से ३१–०३–९९ के वर्ष दरमियान किये गये खर्च का विवरण

विवरण	राज्य कार्यालय रु. पै.	डीआइयु मेडक रु. पै.	डीआइयु महबूबनगर रु. पै.	डीआइयु करीमनगर रु. पै.	डीआइयु निझामाबाद रु. पै.	डीआइयु आदिलाबाद रु. पै.	जोड रु. पै.
ख . कार्यकलाप खर्च :							
मानदेय – सहयोगिनियां	०.००	११५६९१.००	२३२४८१.००	२२२३०६.२०	१०१३८४.७०	९२२७३.१०	८४४१३६.८०
सीपीएफ – सहयोगिनियां	०.००	३१०७७.००	४७८६७.००	२९८७६.००	१००९८.००	९९६२.००	१२८८८०.००
एफटीए – सहयोगिनियां	०.००	४३५१८.००	६४९४३.५०	६४९५३.८०	२९५९३.६०	२६९३२.१०	२३९९४१.००
आकस्मिकताएं – सहयोगिनियां	०.००	९८१४.००	१०८५७.००	११४४७.००	९१४६.००	७८९३.००	४९१५७.००
पुस्तकें और सामयिक	१३३६२.३५	११७९.५०	२५४८.३०	२१०९.००	११७९.२०	९००.००	२२८७८.३५
दस्तावेजीकरण	५४३७५२.९०	३२०४.३०	२७१२.५०	२६१०.००	०.००	४४०.५०	५५२७२०.२०
फीस और मानदेय	७७००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	७७००.००
विचारगोष्ठि और कार्यशिविर	१३०९१०.५०	११११२८.६०	१३३५९.५०	१५१४६.१०	६६३०.६५	१९५४२.९५	११६७१८.३०
प्रशिक्षण खर्च	३७७९९८.८०	५०७८२.९०	९८८७१.५०	३५०२३.४५	३६२६७.४५	८७११.६०	६०७६५५.७०
बैठक खर्च	३६७६२१.५५	८३३७८.८०	१०१११४.४५	५५०९०.७०	२९५९२.००	२८३१३.००	६६५११०.५०
संघम निधि	०.००	११६८००.००	११०४००.००	०.००	०.००	०.००	३०७२००.००
संघम झोंपडी	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
संघम खर्च	०.००	२६५४४.००	८९०१.४०	०.००	०.००	०.००	३५४४५.४०
एनएफइ खर्च (बालमित्र)	०.००	८१४६६.३०	८७१५६.५०	५२६०.५०	०.००	०.००	१७३८८३.३०
जिला मेला / रालियां	०.००	७३६१८.७५	३३६८.२०	६९२१८.००	०.००	१३६९.७०	१४७५७४.६५
एमएसके खर्च	०.००	१९९८१६.१५	२२४३९९.१०	३४६२२.५५	०.००	०.००	४५८८३७.८०
संसाधन खर्च	४४१९९८.१५	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	४४१९९८.१५
सहायक अनुदान	२८७५००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	२८७५००.००
समाचार पत्र	०.००	०.००	२४०३.००	०.००	०.००	०.००	२४०३.००
	–	–	–	–	–	–	–
जोड :	२१७०७६४.२५	१०१८८१९.३०	१०११३८२.९५	५४७६६३.३०	२२४६९१.६०	१९६३३८.७५	५१६९६६०.१५

वाय. पद्मावती
राज्य कार्यक्रम निदेशक

आंध्र प्रदेश महिला समथा सोसायटी
हैद्राबाद
०१–०४–९८ से ३१–०३–९९ के वर्ष दरमियान किये गये खर्च का विवरण

विवरण	राज्य कार्यालय रु. पै.	रीसोर्स सेन्टर रु. पै.	डीआइयु मेडक रु. पै.	डीआइयु महबूबनगर रु. पै.	डीआइयु करीमनगर रु. पै.	डीआइयु निज़ामाबाद रु. पै.	डीआइयु अदिलाबाद रु. पै.	जोड रु. पै.
क्रय की गई आस्तियां								
जीप	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	३८२८२४.००	३८२८२४.००
कार्यालय साधन	२९८५०.००	०.००	१०५००.००	०.००	०.००	०.००	०.००	४०३५०.००
फर्निचर और जडित वस्तुएं	१२६७३.८५	०.००	१२६७३.८५	१२६७३.८५	१२६७३.८५	०.००	०.००	५०६९५.४०
दृश्यश्राव्य साधन	०.००	०.००	०.००	०.००	२६५००.००	२६५००.००	२६५००.००	७९५००.००
कम्प्युटर	१२७२००.००	१३१८००.००	८४८००.००	८४८००.००	८४८००.००	०.००	०.००	५१३४००.००
झेरोक्स मशीन	९६७५८.६०	०.००	०.००	०.००	६९१३०.५०	६९१३०.५०	०.००	२३५०१९.६०
जोड : ग	२६६४८३.४५	१३१८००.००	१०७९७३.८५	९७४७३.८५	१९३१०४.३५	९५६३०.५०	४०९३२४.००	१३०१७८९.००
जमा राशियां और अग्रिम								
किराये की जमाराशि	६००००.००	०.००	१००००.००	१३९००.००	६६००.००	६०००.००	७५००.००	१०३२००.००
अग्रिम	१८१५३.५५	०.००	३०००.००	५०००.००	२८००.००	५०००.००	५०००.००	३८९५३.५५
जोड : घ	७८१५३.५५	०.००	१३०००.००	१८१००.००	९४००.००	११०००.००	१२५००.००	१४२१५३.५५
जोड : (क+ख+ग+घ)	३८४८९८४.४०	१७१२३००.८०	१७०१४७४.६५	१८०४५०८.९०	१०९६७८९.७०	५९५८२९.६५	८९०३५५.४०	१००६९७४२.७०
वसूल किया गया अग्रिम								
किराये की जमाराशि	६००००.००	०.००	९५८०.००	१०४००.००	६६००.००	६९००.००	७५००.००	१००९८०.००
अग्रिम	१३५५०.००	०.००	१०८००.००	४५८०.९०	०.००	०.००	०.००	२८९३०.९०
पूर्ववत्त खर्च	४४७६३.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	४४७६३.००
यान अग्रिम	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	३८२८२४.००	३८२८२४.००
	–	–	–	–	–	–	–	–
जोड :	११८३९३.००	०.००	२०३८०.००	१४९८०.९०	६६००.००	६९००.००	३९०३२४.००	५५७४९७.९०

वाय. पद्मावती
राज्य कार्यक्रम निदेशक

आंध्र प्रदेश महिला समता सोसायटी

प्लाट नं · ३९, अरविन्द नगर कलोनी, दोमलगूडा, हैदराबाद

फोनं : ०४०-७६००२५८, ७६३००५७, E-mail : Samatha@hd2.vsnl.net.in